राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 1] पन्द्रहवीं विधान सभा के पहले सत्र का अट्ठाईसवां दिवस [संख्या: 8

सोमवार,

11 फरवरी 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: सचिव।

शपथ/प्रतिज्ञान

नवनिर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की)

क्र.सं.	**सदस्य का नाम**	**शपथ/प्रतिज्ञान**	**भाषा**
1	2	3	4
(माननीय सदस्यों द्वारा पूर्व शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान से क्रमवार)			
199.	श्रीमती सफिया जुबेर	शपथ	हिन्दी

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

महाराणा प्रताप के स्मृति स्थलों के विकास की कार्ययोजना

38. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार महाराणा प्रताप की निर्वाण स्थली व तृतीय राजधानी चावण्ड के खण्डहर महलों का जीर्णोद्धार, सड़कों का चौड़ाईकरण, लाइट व्यवस्था, पर्यटक स्थल से जोड़ने व राष्ट्रीय धरोहर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सलूम्बर में स्थित हाडा रानी के खण्डहर महलों को पर्यटक स्थल के रुप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) महाराणा प्रताप

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

का खण्डहर महल, चावण्ड, जिला उदयपुर एक राष्ट्रीय धरोहर स्थल के रुप में पहले से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्थल घोषित है, जिसका संरक्षण/जीर्णोद्धार का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर करवाया जाता है। स्थल पर्यटकों हेतु सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक खुला रहता है, जिस कारण लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों के प्रस्ताव पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप के पुण्य स्थल इचावण में 1952 से आज तक कितनी-कितनी राशि खर्च हुई? वर्षवार सदन की टेबल पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न के संदर्भ में प्रश्न पूछें। मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था वह लाइट क्यों नहीं हुई, इसके लिये पूछा था। यह जो स्थल है, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्थल घोषित है। उन्हीं की अनुमति से कोई भी काम होते हैं। समय-समय पर राज्य सरकारों ने भी और केन्द्रीय सरकार ने भी इनके नवीनीकरण के लिये और हैरिटेज लुक देने के लिये काम कराए हैं। अगर आप वे पूछेंगे तो निश्चित रुप से बताएंगे कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में 675 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था और 2015-16 में 767.23 लाख रुपये का प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था, जिसमें उक्त परियोजनाओं के तहत चावण्ड में, गोगुन्दा में, हल्दीघाटी में, दिवेर में, छापली में इन सब में काम हुए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, विषय यह नहीं है। देश की आजादी के बाद, चावण्ड उनकी निर्वाण स्थली है, इस निर्वाण स्थली पर कब-कब काम हुआ, उस वर्ष का नाम बताओ, जिस वर्ष में पहली बार उस पर काम हुआ? और कौन-कौन से साल में कितना-कितना पैसा लगा, तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह जितना भी पैसा महाराणा प्रताप और उससे सम्बन्धित जो स्थान हैं, जिसको मेवाड़ काम्पलेक्स के रुप में 1977-78 में इस विधान सभा के स्तर पर आ करके काम शुरु हुआ था। मैं यही जानना चाहता हूं कि 1952 से लेकर 1975 तक ये महाराणा प्रताप थे या नहीं थे,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चावण्ड था या नहीं था, चावण्ड पर काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसके लिये जिम्मेदार कौन था?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह पूछा है, मैंने इससे पहले ही यह बताया है कि यह जो महाराणा प्रताप का स्मारक और जो खण्डहर महल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही इस पर काम कराया जाता है। राज्य सरकारें भी चाहती हैं तो इसमें काम कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा लगाया गया, वह चावण्ड का भी अगर आप कहेंगे तो अलग से मैं आपको डिटेल दे दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात इतनी सी है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में भी 675 लाख रुपये के काम की स्वीकृतियां हुई थीं, और 2015-16 में भी 767.23 लाख रुपये के काम हुए थे। अलग-अलग जहां-जहां, जिस-जिस रुप में भी अगर आप पूछेंगे तो 2005-06 में 50 लाख रुपये अलग दिये गये, फिर 200 लाख दिये गये। अलग-अलग अगर आप डिटेलवाइज चावण्ड में भी 83.63 लाख रुपये के पूर्ण काम कराये जा चुके हैं। गोगुन्दा में भी 142.85 लाख रुपये के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। दिवेर में भी 206.14 लाख रुपये के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। छापली में भी 205.70 लाख रुपये के काम कराये जा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह नहीं पूछ रहा, मैं यह पूछ रहा हूं कि पहली बार, मैं केवल चावण्ड तक ही सीमित हूं, मेवाड़ काम्पलेक्स पर भी मैं नहीं जा रहा हूं, केवल चावण्ड पर, दो अलग-अलग जगहें हैं, जो आपका पुराना महल है वह उनके तहत है आर्कियोलाजी डिपार्टमेंट के पास, लेकिन उनकी जो समाधि है, वह उनके पास नहीं है। उस समाधि पर भी पहली बार काम कब शुरु हुआ और कब-कब कितना पैसा लगा, मैं इतना ही जानना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं समझता हूं कि आप स्वयं इस बात से भिज्ञ हैं। मंत्रीजी, यह रेलेवेण्ट है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): जितना रेलेवेण्ट है वह भी दे दूंगा और इर्रेलेवेण्ट देंगे तो उसका भी जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं आप। (व्यवधान) माननीय, आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, चावण्ड में महाराणा प्रताप स्मारक व समाधि स्थल के विकास एवं संरक्षण के कार्य में 65.73 लाख रुपये, मूर्ति के चारों और फ्लोरिंग का कार्य, बुर्ज पर चिनाई का कार्य, बाहरी कम्पाउण्ड वाल का कार्य, पार्किंग व सी.सी. रोड का कार्य, नये स्टेच्यु-4 नग लगाने का कार्य, भूतल पर कमरों के दरवाजे के फर्श का कार्य, पम्प रुम की मरम्मत, स्टोन मेसनरी एवं प्लास्टर का कार्य, सबमर्सिबल पम्प, कंगूरों की मरम्मत व चिनाई का कार्य, नये पाथ-वे निर्माण का कार्य। ये चावण्ड में ...(व्यवधान) कार्य हो गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, सीधा प्रश्न है माननीय प्रतिपक्ष के नेता का कि काम कब प्रारम्भ हुआ, वह वर्ष बता दें, बस बात खतम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि जो वित्तीय वर्ष हैं, 2005-06, और 2015-16, इनमें 2005-06 में 675.00 लाख रुपये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): और 767.23 लाख रुपये 2015-16 में हुआ है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

प्रदेश में मिड-डे मील योजना में व्यय राशि

39. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मिड-डे मील योजना के तहत प्रतिदिन कितने छात्रों को भोजन में क्या-क्या सामग्री उपलब्ध करवायी जाती है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दौसा जिले में उक्त योजना में प्रतिदिन कितने छात्रों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तथा इसके लिए प्रतिदिन कितनी सामग्री उपलब्ध करवायी जा रही है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) प्रदेश में मिड-डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 62.22 लाख नामांकित विद्यार्थियों में से उपस्थित विद्यार्थियों हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गेहूं/चावल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तेल, मसाले, सब्जी, दाल एवं

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

ईंधन इत्यादि हेतु प्रति छात्र प्रतिदिन भोजन पकाने की लागत राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) मिड-डे मील योजना के तहत गत पांच वर्षों में कुल राशि 3062.55 करोड़ रुपये व्यय की गई है। जिलेवार राशि का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) दौसा जिले में कक्षा 1 से 8 तक कुल नामांकित 131065 विद्यार्थियों हेतु भोजन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। विद्यालयों में उपस्थित विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निम्नानुसार सामग्री उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है:-

कक्षा	सामग्री	मात्रा प्रति छात्र प्रतिदिन
1-5	गेहूं/चावल	100 ग्राम
6-8	गेहूं/चावल	150 ग्राम

विद्यालयवार एवं विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि चाहे सरकारें कोई भी रही हों, मिड-डे मील में भ्रष्टाचार के आरोप और जांच लगभग होती रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस भ्रष्टाचार को पूर्णत: खतम करना चाहती है या नहीं? अगर खतम करना चाहती है तो जिन विद्यार्थियों को पोषाहार वितरण किया जाता है क्या बायोमैट्रिक तकनीक से उनको पोषाहार वितरण करने की सरकार मंशा रखती है? एक।

दूसरा, मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने किसी भी विद्यालय में जहां पर जरुरत है छह अध्यापकों की वहां पर चार अध्यापक लगा रखे हैं और चार में से भी एक अध्यापक को पोषाहार के काम में लगा रखा है। वहां पर विद्यालय में जो शिक्षा का काम है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): हां, सर, मैं वही पूछ रहा हूं। छह की जगह पर चार लगा रखा है और चार में से भी एक माननीय शिक्षक को

(श्री ओमप्रकाश हुड़ला)

पोषाहार वितरण के काम में लगा रखा है जिससे शिक्षक का जो वास्तविक काम होता है, वह वास्तविक काम नहीं होकर अलग काम करना पड़ता है।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कोई पोषाहार वितरण अधिकारी या इस तरह का कोई कर्मचारी अलग से रखने की सरकार मंशा रखती है या नहीं रखती है? यह दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि मिड-डे मील कितने विद्यार्थियों को दिया जाता है और कैसे-कैसे दिया जाता है और दौसा जिले के लिए पूछा है।

आपने जो भ्रष्टाचार की बात कही तो निश्चित रुप से हमारी सरकार किसी भी रुप से किसी भी विभाग में, चाहे मिड-डे मील हो या चाहे और कोई हो, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। पांच साल में गत सरकार ने जो कुछ भी किया अगर आप शिकायत लिखकर देंगे तो उसकी जांच करवा लेंगे। आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मैं सिर्फ इतना-सा पूछना चाहता हूं कि आप मिड-डे मील का जो वितरण करना चाहते हैं वह बायोमैट्रिक तकनीक से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मिड-डे मील का वितरण किया जाता है एफ.सी.आई. से डी.एस.ओ. जो सामान उठाता है और उसके बाद में उसको बाकायदा विद्यालयों तक दिया जाता है। अब विद्यालय में आज की तारीख में जो मिड-डे मील का भोजन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया है, उसमें इन शिक्षकों को हटाने का अभी तक सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। उन्होंने बायोमैट्रिक के बारे में पूछा है।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): बायोमैट्रिक तकनीक से आप बच्चों को पोषाहार वितरित करना चाहते हैं या नहीं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विषय आपने आज उठाया है तो, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे कि

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किस प्रकार से यह व्यवस्था बायोमैट्रिक के हिसाब से हो सकती है और इसमें हम इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार बड़ी पारदर्शिता के साथ में इस मिड-डे मील योजना के तहत उन बच्चों को निश्चित रूप से अच्छा गुणवत्तापूर्ण खाना मिले, भोजन मिले, इसको सुनिश्चित करेगी और यह जो बायोमैट्रिक वाला है, इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गुरदीप सिंह।

मीरा कालेज संगरिया को राजकीय कालेज घोषित करने की योजना

40. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मीरा कालेज संगरिया जिला हनुमानगढ़ को राजकीय कालेज घोषित किया गया था? क्या उक्त घोषणा की क्रियान्विति कर दी गई है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब उक्त कालेज को राजकीय कालेज घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी, हां। निजी महाविद्यालय मीरा कन्या कालेज, संगरिया (हनुमानगढ़) को राज्याधीन किये जाने का आदेश दिनांक 31 अगस्त, 2013 को किया गया था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

गत सरकार द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2014 के आदेश द्वारा मीरा कन्या कालेज, संगरिया (हनुमानगढ़) को डी-नोटिफाई निरस्त किया गया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा मीरा कन्या कालेज संगरिया को राजकीय कालेज घोषित करने से संबंधित निर्णय दिनांक 02 अप्रैल, 2018 की अनुपालना में दिनांक 21 जून, 2018 को प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनवाई की कार्यवाही की गयी है, निर्णय की कार्यवाही प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा मीरा कन्या कालेज,

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

संगरिया को राजकीय कालेज घोषित करने से संबंधित निर्णय दिनांक 02 अप्रैल, 2018 की अनुपालना में 21 जून, 2018 को प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनवाई की गयी है, निर्णय की कार्यवाही प्रशासनिक विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि वित्तीय वर्ष में हमारा यह मीरा कालेज चालू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मीरा कन्या कालेज, संगरिया जिसको 2013 में खोला गया और गत सरकार के द्वारा 26 सितम्बर, 2014 को डी-नोटिफाइड किया गया, उस संबंध में उक्त कालेज माननीय न्यायालय के, उसमें अपील की गयी और न्यायालय के द्वारा विभाग को सुनवाई की जाकर, संबंधित पक्ष को सुनवाई की जाकर स्पीकिंग आर्डर देने के लिए कहा गया। पिछले वर्ष जैसा कि मैंने अभी आपको जवाब में बताया कि 21 जून, 2018 को प्रशासनिक विभाग द्वारा सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, लेकिन उस दौरान चुनाव की आचार संहिता लग जाने की वजह से उसका निर्णय विभाग के द्वारा नहीं किया गया। चूंकि, अब दुबारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में विभिन्न राज्याधीन और डी-नोटिफाइड स्व-वित्त पोषित और निजी महाविद्यालयों को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के पश्चात स्पीकिंग आर्डर उस समय जारी नहीं हो सके थे। अतः इस संबंध में हमने एक जांच कमेटी दुबारा गठित की है और दो जांच दलों का, राज्य के आठ महाविद्यालय इस तरह के हैं जिनको डी-नोटिफाइड किया गया, उनके लिए दो जांच दलों का गठन किया गया है और इन जांच दलों की रिपोर्ट आने के बाद और संबंधित महाविद्यालयों की सुनवाई किये जाने के बाद में स्पीकिंग आर्डर देकर इस संबंध में निर्णय किया जाना प्रस्तावित है।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो कमेटी गठित की है, उसका निर्णय कब तक आ जाएगा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष

(श्री भंवर सिंह भाटी)

महोदय, चूंकि, माननीय न्यायालय के द्वारा संबंधित कालेजेज को सुनकर और उस संबंध में निर्णय दिये जाने की बात कही गयी है तो सुनवाई प्रक्रियाधीन है और हमने दोनों ही जांच दलों को वहां के कालेजेज की, आठों ही राजकीय महाविद्यालयों की स्थिति, बिल्डिंग, स्टाफ और पूरा आकलन करके सात दिन में उसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है और वह रिपोर्ट आने के बाद में संबंधित पक्षों को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती इन्दिरा देवी एवं श्री हनुमान बैनिवाल।

प्रदेश में ईसीजी टैक्नीशियन के पदों पर भर्ती

41. श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2018 में ईसीजी टैक्नीशियन की नियमित भर्ती के लिए आवेदन मांगे गये हैं? यदि हां, तो उक्त भर्ती में कितने पदों के लिए आवेदन मांगे गये तथा कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने आवेदन सही पाए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भर्ती 15 जनवरी, 2019 तक पूर्ण नहीं हुई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त भर्ती अब कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। ईसीजी टैक्नीशियन के 362 पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 26.07.2018 को विज्ञप्ति जारी की गई तथा कुल 185 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्रता की जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। ईसीजी टैक्नीशियन भर्ती मालवीय नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, जयपुर के माध्यम से विभाग द्वारा करवाई जा रही है तथा भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु मालवीय नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, जयपुर को निर्देशित किया जा चुका है।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के 70 साल बाद ईसीजी टैक्नीशियन, देखिए, बेरोजगारी की इतनी बड़ी विकट समस्या है राजस्थान के अंदर कि जितनी भी अपन विज्ञप्ति निकालते हैं उससे दस गुणा, बीस गुणा ज्यादा फार्म आते हैं। लेकिन यहां पर 362 पद

(श्री हनुमान बैनिवाल)

ईसीजी टैक्नीशियन के थे, यह सवाल जब मैंने पिछली बार उठाया था, तब ये पद स्वीकृत किये और आवेदन केवल 162 ही आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें कहीं न कहीं इसमें भी जाना होगा कि आखिर 362 पदों के लिए केवल 162 आवेदन ही आये और 162 आवेदन अगर आ गये तो भर्ती की प्रक्रिया क्यों रुक गयी।

मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि पहली बार अपन ईसीजी टैक्नीशियन की भर्ती 50 साल में कर रहे हैं। इसमें सरकार कब तक इस भर्ती को पूरी कर देगी? यह घोषणा सदन के अंदर करें।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श पी.एच.सी. के अंदर तो ईसीजी की सुविधा भी हो गयी। अभी तो ई.सी.जी. टैक्नीशियन है नहीं राजस्थान के अंदर, कहीं पहली बार जब पद स्वीकृत हुआ तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा राजस्थान का?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): एक मिनट अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साहब। सबसे ज्यादा हार्ट-अटैक से और ब्रेन हैमरेज से मौतें होती हैं राजस्थान के अंदर और समय रहते अगर ई.सी.जी. के अंदर बात को पकड़ लो तो हार्ट-अटैक नहीं होता। पता नहीं चलता ऐसे कम्पाउंडर बैठे हैं, जो ई.सी.जी. कर रहे हैं। मेरा यह भी पूछना है कि प्रत्येक पी.एच.सी. पर आप ई.सी.जी. टैक्नीशियन का पद स्वीकृत करवाकर कब तक भरोगे, दोनों बता दो आप।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पहली बार यह ई.सी.जी. टैक्नीशियन के पदों पर भर्ती हो रही है तो इसमें एक जो आश्वासन की बात चाही गयी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कुल करीब 14055 पदों की भर्ती के लिये विभिन्न कैडर्स के तहत इसकी जिम्मेदारी एम.एन.आई.टी. को दी गयी थी और क्योंकि ई.सी.जी. टैक्नीशियन की जो विज्ञप्ति थी, वह जुलाई, 2018 को निकली थी, तो मैं समझता हूं उस हिसाब से देखा जाए और यह काम चल रहा है, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, कि एक माह के अंदर-अंदर ई.सी.जी. टैक्नीशियन के पदों पर भर्ती कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन दिलावर।

रामगंजमण्डी में कृषि भूमि पर अतिक्रमण के दर्ज प्रकरण

42. **श्री मदन दिलावर** (रामगंजमण्डी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी व बारां-अटरु में विगत 10 वर्षों में किस-किस कृषि भूमि पर किस-किस के द्वारा कब-कब से अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ है? वास्तविक खाताधारक व अतिक्रमणकर्ता/कब्जाकर्ता के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व जिला कलेक्टर को कब-कब शिकायत की गई या वाद दायर किया गया? प्रत्येक प्रकरण में 15 जनवरी, 2019 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा एससी/एसटी/सामान्य वर्ग की भूमि पर कब्जा हटाने हेतु उपरोक्त कोर्ट को समय सीमा में निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया हुआ है? यदि हां, तो समय सीमा समाप्त होने के पश्चात भी 15 जनवरी, 2019 तक उक्त प्रकरणों के निस्तारण नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? प्रकरणवार कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) विगत 10 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में अतिक्रमण/कब्जे के 46 दावे व न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा में 5 दावे दर्ज हुए। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसी प्रकार तहसील रामगंजमण्डी में 71 प्रकरण दर्ज किये गये। तहसील लाड़पुरा में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

विगत दस वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरु अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में अतिक्रमण/कब्जे के 75 दावे व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरु में 47 दावे दर्ज हुए हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

इसी प्रकार तहसील बारां में 56 प्रकरण एवं तहसील अटरु में 94 प्रकरण दर्ज हुए हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में दर्ज 46 दावों में से 25 दावों का निस्तारण हो चुका है। न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा में दर्ज 5 दावों का भी निस्तारण किया जा चुका है, जो बिन्दु संख्या-1 के परिशिष्ट 'अ' में वर्णित है।

(राजस्व मंत्री)

तहसील रामगंजमण्डी में दर्ज 71 प्रकरणों में से 58 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है, जो बिन्दु संख्या-1 के परिशिष्ट 'ब' में वर्णित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में दर्ज 75 दावों में से 38 दावों का निस्तारण हो चुका है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरु में दर्ज 47 दावों में से 37 दावों का निस्तारण किया जा चुका है, जो बिन्दु संख्या-1 के परिशिष्ट 'अ' में वर्णित है।

तहसील बारां में दर्ज 56 प्रकरणों में से 45 प्रकरणों का, तहसील अटरु में 94 प्रकरणों में से 84 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है, जो बिन्दु संख्या-1 के परिशिष्ट 'ब' में वर्णित है।

(3) एस.टी., एस.टी; वर्ग की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को संक्षिप्त विचारण कर आम तौर पर 3 माह में निर्णित करने के संबंध में राजस्व विभाग ने संबंधित राजस्व न्यायालयों को निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 8.12.2009, 09.02.2007 एवं 23.04.2009 व 11.01.2012 को परिपत्र जारी कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को हटाने के संबंध में निश्चित दिशा-निर्देश जारी कर उनकी सख्ती से पालना किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी में 21 दावे न्यायिक प्रक्रिया के तहत लम्बित हैं तथा तहसील रामगंजमण्डी में 13 प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के तहत लम्बित हैं, जो संलग्न सूची परिशिष्ट 'स' में अंकित हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में 37 दावे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरु में 10 दावे न्यायिक प्रक्रिया के तहत लम्बित हैं। सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' में अंकित है। तहसील बारां में 11 प्रकरण तथा तहसील अटरु में 10 प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के तहत लम्बित हैं। सूचना संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि कितने कब्जेधारी/अतिक्रमणकारी हैं? आपने बताया है कि न्यायालय में इतने वाद दायर हुए हैं। यह प्रश्न का जवाब ही नहीं है। मेरे प्रश्न का आप पूरा जवाब दें कि किस-किसकी जमीन

(श्री मदन दिलावर)

पर किस-किसने कब्जा किया हुआ है। दूसरे पैरा में मैंने यह पूछा था कि जिला कलेक्टर के पास किस-किसने क्या-क्या शिकायत की है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विभाग के पास जो शिकायत व सूचना है, उसके अन्तर्गत विभाग के अंदर प्रकरण दर्ज किये गये हैं और उसके तहत प्रक्रिया के तहत कितने का निस्तारण हो चुका और कितने लम्बित हैं, इसकी सूचना ही विभाग दे सकता है और वह इस सवाल के जवाब के अंदर दे चुके हैं। दूसरी बात, इन्होंने यह पूछी है प्रश्न के अंदर, कि कितनी शिकायतें कलक्ट्रेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास दर्ज की गयी हैं? वह इस प्रश्न के अंदर कहीं भी उल्लेख नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब फिर भी नहीं दे रहे हैं और जान-बूझकर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यह पूछा था कि विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी और बारां-अटरु में किस-किस कृषि भूमि पर किस-किसके द्वारा कब-कब से अतिक्रमण/कब्जा किया हुआ है? वास्तविक कब्जाधारक/अतिक्रमणकर्ता के नाम बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बाई नेम इन्होंने बात पूछी है, तो बाई नेम परिशिष्ट में जवाब दिया जाए, प्रश्न यह है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बाई नेम जो मैंने जवाब दिया है, उसकी सूची पूरी की पूरी इसके अंदर दी हुई है। मेरा निवेदन माननीय सदस्य से यही है कि वह सूची देख लें, वह पूरी की पूरी सूची है। बाई नेम दिया हुआ है।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): यह न्यायालयों में वाद दायर किये, उसकी सूची है। जो जिला कलेक्टर को सीधी शिकायत की है, तहसीलदार जी को सीधी शिकायत की है, एस.डी.एम. को सीधी शिकायत की है, उसके बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी है। आपने यह न्यायालय की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इनका सीधा प्रश्न है, आपने जो सूचना दी है वह न्यायालय में बात जो पैंडिंग हैं, उनकी है। यह कह रहे हैं कि हमने न्यायालय के अलावा भी अतिक्रमण की जो सूचना दी, उसकी सूचना आपके पास है क्या?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, उसकी सूचना इस जवाब में नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): इसको स्थगित कर दें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): उसकी सूचना लेकर यह अवगत करा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है, इसको बाद में देखेंगे।

श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): हां, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, लेकिन यह स्पीकर को प्रश्नकर्ता को लिखकर भेजना है। प्रश्न पूछने वाले को लिखकर नहीं भेजना है। आपने भेज दिया, मैं अलाउ कर रहा हूं, लेकिन नैक्स्ट टाइम में ध्यान रखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद। प्रश्न संख्या 43.

कोटा के IIIT का भवन निर्माण

43. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में ट्रिपल आईटी स्वीकृत है? इनकी कक्षायें लगना कब से प्रारम्भ हुई? वर्तमान में इसकी कक्षायें कहां लग रही हैं? इनमें कौन-कौनसे कोर्स संचालित हैं? 15 जनवरी, 2019 तक कितने विद्यार्थी इससे डिग्री प्राप्त कर चुके हैं व वर्तमान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कोटा में ट्रिपल आईटी की घोषणा के पश्चात उक्त के भवन निर्माण के लिए भूमि आंबटित की गई थी? यदि हां, तो कब और किस स्थान पर कितनी भूमि आंबटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि कोटा में भूमि आबंटन की दीर्घ अवधि के पश्चात् भी अब तक उक्त का भवन निर्माण नहीं होने से कोटा में कक्षायें संचालित नहीं हो पा रही हैं? यदि हां, तो भूमि आबंटन से अब तक ट्रिपल आई-टी के भवन निर्माण नहीं होने के क्या कारण हैं? अब सरकार उक्त भवन निर्माण के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार ट्रिपल आई.टी. का भवन बनने से पूर्व ही इसे कोटा के किसी अन्य स्थान पर संचालित करने का विचार कर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

रही है? यदि हां, तो उक्त के लिए कौन-कौनसे स्थानों को चिन्हित किया गया है तथा इसकी कक्षायें लगना कब से प्रारम्भ होंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। ट्रिपल आईटी की कक्षाएं माह जुलाई, 2013 से लगना प्रारम्भ हुई। वर्तमान में इसकी कक्षाएं मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के परिसर में संचालित हो रही हैं। ट्रिपल आईटी में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कोर्स संचालित किये जा रहे हैं। अब तक उक्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग के 52 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं एवं वर्तमान में 430 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। ट्रिपल आईटी की घोषणा के बाद इसके भवन निर्माण के लिए 100.37 एकड़ भमि ग्राम रानपुर, जिला कोटा (झालावाड़ हाईवे) पर आंबटित की गई। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) आई.आई.आई.टी., कोटा के लिए भूमि आबंटन उपरान्त आंबटित भूमि पर सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बाउण्ड्रीवाल एवं साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य किया जा चुका है। भवन निर्माण हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं इंडस्ट्री पार्टनर द्वारा राशि 50:35:15 के अनुपात में वहन की जानी है। भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में राशि रु. 6.11 करोड़ का प्रावधान किया जाकर राशि निदेशालय तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा भी अपनी हिस्से की राशि रु. 8.595 करोड़ एवं इंडस्ट्री पार्टनर द्वारा राशि रु. 12.80 करोड़ उपलब्ध करवाई जा चुकी है। भवन निर्माण सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किया जाना है जिसके लिए आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। ट्रिपल आई.टी. का भवन बनने से पूर्व ही इसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के परिसर में स्थित पैट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग के नवनिर्मित भवन में संचालित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित स्थान पर संचालित किये जाने के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विजिट की जानी अपेक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि ट्रिपल आईटी कब स्वीकृत

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हुआ, कौनसे ईयर में स्वीकृत हुआ? इसका एकेडेमिक सैशन कब और कहां शुरू हुआ? सबसे पहले उसका ईयर बतायें, उसका स्थान बतायें, कहां इसका एकेडेमिक सैशन चल रहा है? आपने जैसाकि कहा कि इसकी लैण्ड स्वीकृत हो गई है, तो लैण्ड कब स्वीकृत हुई, उसका ईयर बतायें। बिल्डिंग का एस्टीमेट अगर कोई बना है तो उसका बिल्डिंग का एस्टीमेट क्या है? यह बतायें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि लैण्ड अलाटमेंट 1.12.2011 को हुआ और बजट घोषणा 2011-12 में कोटा आईआईआईटी की स्थापना की घोषणा की गई। अलाटमेंट 2013 में हुआ, वह मेरे द्वारा बता दिया गया है। चूंकि इसका भवन निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है, इसमें बाउण्ड्रीवाल और ट्रैक का निर्माण हो चुका है। इसकी डीपीआर अभी नहीं बनी है। जो उपलब्ध जानकारी है विभाग द्वारा, इसकी डिटेल डीपीआर उपलब्ध नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैंने आपसे यह पूछा था कि...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं अभी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): ...और अभी क्लासेज एमएनआईटी कैम्पस में चल रही हैं और इसके द्वारा यह भी बताना चाहूंगा कि इसकी क्लासेज को कोटा में ट्रांसफर करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, उस कमेटी का विजिट होना है, जिसको कि राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी जो कोटा कैम्पस है, उसमें इसको स्थानान्तरित करने का विचार है। तो जैसे ही कमेटी विजिट करती है, उसकी रिकमण्डेशन आती है तो उसकी क्लासेज राजस्थान टैक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा में हस्तान्तरित किये जाने का विचार है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय मंत्रीजी ने एकेडेमिक सैशन कब शुरु हुआ, इसके बारे में डेट नहीं बतायी। एमएनआईटी में स्टार्ट हुआ लेकिन 2011 में स्वीकृत हुआ और स्वीकृत होने के बाद इसका सैशन, इसकी पढ़ाई कब से स्टार्ट हुई? एक। दूसरा, क्या इस एकेडेमिक सैशन में ट्रिपल आईटी, कोटा के अन्दर ट्रिपल आईटी, एमएनआईजी से कोटा में इसकी कक्षाएं शुरु हो जाएंगी, क्योंकि यह अभी टेम्प्रेरी व्यवस्था है जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अन्दर, जो इंजीनियरिंग पैट्रोलियम डिपार्टमेंट बना है, उसके अन्दर इनकी क्लासेज जो शुरु होनी हैं, क्या इस एकेडेमिक सैशन में वह क्लासेज आप स्टार्ट कर देंगे?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): पहले क्वेश्चन का मैं बताना चाहूंगा कि सत्र 2013-14 में क्लासेज स्टार्ट हुई, पहला बैच, जो मई, 2017 में पास आउट हो चुका है। दूसरा आपने जो प्रश्न किया है कि कब तक क्लासेज ट्रांसफर हो जाएंगी, तो मैंने आपको बताया कि पहले विभागीय स्तर पर इसकी कमेटी जो है, संसाधन मंत्रालय की उस कमेटी के माध्यम से एक विचार आया था कि पैट्रोलियम इंजीनियरिंग का एक ब्लाक में कोर्स चल रहा है आरटीयू में, वह उपयुक्त नहीं है क्योंकि बैच ज्यादा हैं तो अब दुबारा जैसे ही कमेटी विजिट करती है, मैंने आपको बताया कि कमेटी की विजिट अपेक्षित है। उस कमेटी की रिपोर्ट आने पर, अगर उसका अनुकूल निर्णय आता है कि आरटीयू, कोटा में क्लासेज ट्रांसफर कर दी जाएं, तो कर दी जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न छगन सिंह।

जालोर किले तक रोप-वे बनाने की कार्य-योजना

44. श्री छगनसिंह (आहोर) **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे-'

(1) क्या यह सही है कि जालोर का किला ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है? उक्त किले पर चढ़ाई अधिक होने के कारण वयोवृद्ध पर्यटक किले का भ्रमण नहीं कर पाते हैं?

(2) क्या सरकार पर्यटकों को किले पर जाने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए सड़क मार्ग अथवा रोप-वे जैसी सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां।

(2) जालोर किले की अधिक चढ़ाई को दृष्टिगत रखते हुए वयोवृद्ध जनों सहित आगन्तुकों की सुविधा हेतु जालोर फोर्ट पर रोप-वे हेतु राशि रु. 700.00 लाख स्वीकृत की गई है।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय मंत्री महोदय, क्या टेण्डर जारी हुआ? क्या वर्क आर्डर जारी हुआ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, इसमें एक बार पहले 13.08.2018 को रोप-वे के लिए टेण्डर जारी हुए थे लेकिन कोई निविदाकर्ता ने, किसी ने भी भाग नहीं लिया, किसी भी फर्म ने। दुबारा हमने 30.1.2019 को पुन: इसके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लिए टेण्डर किए हैं और 05.03.2019 को ये टेण्डर खुलने की तारीख है लेकिन इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सात सौ करोड़ रुपये भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय देता है। उसकी लागत जो आती है, वह लगभग दोगुनी से भी ज्यादा आती है तो कोई न कोई ऐसा, अगर निविदा डालने वाला व्यक्ति, कोई फर्म आएगी तो निश्चित रुप से जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करके इसको फाइनलाइज करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं कि 2018 में कोई निविदाकर्ता नहीं आया था, यह सूचना गलत है। एक फर्म ने निविदा डाली थी। वह निविदा सरकार द्वारा अब, सरकार बदलने के बाद अस्वीकृत करके दुबारा आपने निविदा मांगी है। इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? दूसरा, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि सारी प्रक्रिया पूरी करके यह काम कब तक शुरु होगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि निविदा 05.03.2019 को खोली जाएगी। इसमें जो भी व्यक्ति भाग लेगा, उसको देखने के बाद में, उसमें कानूनी प्रक्रिया टेण्डर की होती है, वह पूरी करेगा तो निश्चित रुप से विभाग की तरफ से तो यह पैसा 28.06.2017 से ही स्वीकृत है। उस वक्त आपकी सरकार थी। वह भी नहीं कर पाये थे। मैं आपसे पुन: अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम सब प्रयास करें और ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, जिससे इस समस्या का समाधान हो। जल्दी से जल्दी आपको रोप-वे की सौगात मिल सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

प्रदेश में विद्यालयों का एकीकरण

45. **श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) 2014-15 से सत्र 2018-19 (नवम्बर 2018 तक) तक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के कुल कितने विद्यालयों

(श्री वासुदेव देवनानी)

का एकीकरण किया गया? वर्षवार, जिलेवार एवं विद्यालय के स्तरवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त एकीकरण की प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार के नियमों के तहत की गई? यदि नहीं, तो ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनके एकीकरण में उक्त नियमों की पालना नहीं की गई तथा क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रक्रियान्तर्गत एकीकृत विद्यालयों को पुन: एकीकरण से मुक्त कर स्वतंत्र संचालन कराना चाहती है? यदि हां, तो क्यों? एकीकरण से मुक्त किये जाने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे विद्यालयों को भी एकीकरण से मुक्त कर पुन: प्रारम्भ करना चाहती है जिनका एकीकरण कम छात्र संख्या के आधार पर किया गया था? यदि हां, तो इसके कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) वर्ष 2014 से 2018 तक राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत समन्वित विद्यालयों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एकीकृत विद्यालयों का विवरण

सत्र	उमावि	मावि	उप्रावि	प्रावि	योग
2014-15	0	12	1979	12429	14420
2016-17	0	7	831	1004	1842
योग	**0**	19	**2810**	**13433**	**16262**

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत 16262 उमावि/मावि/उप्रावि/प्रावि विद्यालयों को एकीकृत किया गया, जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

वर्ष 2014 से 2018 तक राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत एकीकृत विद्यालयों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत एकीकृत विद्यालयों का विवरण

सत्र	उप्रावि	प्रावि	योग
2014-15	197	2755	2952
2016-17	212	2778	2990
योग	**409**	**5533**	**5942**

इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा अंतर्गत 5942 उप्रावि/प्रावि विद्यालयों को एकीकृत किया गया, जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कुल 22204 विद्यालय एकीकृत किये गये जिनमें से नियम विरुद्ध बंद किये गये 2450 विद्यालयों को पुन: खोला गया।

(2) आर.टी.ई. एक्ट 2009 एवं आर.टी. रुल्स 2011 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक बालक-बालिकाओं के लिये 1 किलोमीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक बालक-बालिकाओं के लिये 2 किलोमीटर पैदल दूरी के भीतर विद्यालय स्थापित किये जाने का प्रावधान है। उक्त सीमा के अंतर्गत विद्यालय स्थापित नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये उक्त सीमा में छूट (शिथिलीकरण) के अंतर्गत बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क परिवहन और आवास सुविधाओं जैसा पर्याप्त इन्तजाम किये जाने का प्रावधान है।

आर.टी.ई. एक्ट 2009 के विरुद्ध बंद किये गये 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी से 2060 प्राथमिक विद्यालय तथा 2 किलोमीटर दूरी से अधिक 384 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कुल 2450 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पुन: खोला गया है।

स्कूल बंद किये जाने के कारण बालक-बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट बाउचर दिये गये। इस योजना के लिये पात्रता में कक्षा 1 से 5 के ऐसे बालक-बालिकाएं जिनके निवास स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा कक्षा 6 से 8 के ऐसे बालक-बालिकाएं जिनके निवास स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है इस प्रकार कक्षा 1 से 8 के 430523 (चार लाख तीस हजार पांच सौ तेईस) बालक-बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि का भुगतान किया गया। जिस पर 68.676 करोड़ रुपये राशि व्यय की गई है।

आर.टी.ई. नियमों के विपरीत मर्ज किये गये अन्य शेष विद्यालयों की

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

ब्लाक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी से समीक्षा कराकर प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(4) जी हां। एकीकृत विद्यालयों की समीक्षा उपरान्त नियमों एवं बालक-बालिकाओं की सुविधा के विपरीत बंद किए गए चिन्हित विद्यालयों को पर्याप्त नामांकन की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुन: प्रारम्भ किया जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर में कहा कि कुल 22,204 स्कूल मर्ज किये गये उसमें आर.टी.ई. के तहत 2450 स्कूल री-ओपन भी हुए अर्थात् कुल 19,754 स्कूल आर.टी.ई. के तहत सही मर्ज किये गये।

मेरा प्रश्न है कि समन्वय किये गये स्कूलों में जीरो नामांकन वाले कितने स्कूल थे, 15 से कम वाले कितने स्कूल थे और 30 से कम वाले कितने स्कूल थे? उनकी संख्या बताएं। साथ में उन स्कूलों पर कितना व्यय किया जा रहा था? उनमें कितने अध्यापक काम कर रहे थे? जरा यह स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आराम से, आराम से। थोड़ा आराम से।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलें, प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो विद्यालय बंद किये गये थे उनमें से 2400 समथिंग जो विद्यालय खोले गये, वो आपने ही तो बंद किये थे और आपने ही पुन: खोला था और यह कह करके खोला था कि आर.टी.ई. नोर्म्स के विपरीत बंद किये गये हैं। फिर भी सरकार ने समीक्षा की। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट।

फिर भी सरकार ने समीक्षा की, तो काफी विद्यालय ऐसे हैं जो आर.टी.ई. नोर्म्स के विपरीत आपकी सरकार ने बंद कर दिये थे। इसके लिए राजनीतिक कारणों से मान लीजिए, चाहे जो आपके कारण रहे होंगे। एक मिनट, एक मिनट, जवाब आराम से सुनिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): देओ न, आराम से आने दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): हां। पांच साल के लिए सरकार है, फिर आएगी, चिंता मत कीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हम आएंगे फिर। हम आएंगे।

एक माननीय सदस्य: सपना देखो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): जो विद्यालय आपने बंद किये थे वो आपने यह कह करके बंद किये थे कि राजस्थान में 39 हजार राजस्व ग्रामों में कुल 86,324 राजकीय विद्यालय संचालित हैं, जो देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर आर.टी.ई. नार्म्स की आवश्यकता से कहीं अधिक विद्यालय स्थापित हो गये हैं जिसके कारण से 28,013 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जो आप कह रहे हो, 30 से कम नामांकन था और 142 प्राथमिक विद्यालयों में जीरो नामांकन था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो नार्म्स बता करके बंद किये वो तो आर.टी.ई. नार्म्स के विपरीत है। कहीं भी आर.टी.ई. एक्ट में यह नहीं लिखा हुआ है कि एक राजस्व ग्राम में एक ही विद्यालय होना चाहिए। आर.टी.ई. नार्म्स तो बड़ा क्लीयर कह रहा है कि एक से एक किलोमीटर तक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए उस बच्चे को शिक्षा के लिए और मिडल तक दो किलोमीटर होना चाहिए। आपने तो जो आर.टी.ई. एक्ट था, नियम था, गाइड लाइन थी उनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया। मैं समझता हूं इसी का परिणाम है कि आप विपक्ष में बैठे हो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसका परिणाम तो था कि आप 21 पर आ गये थे, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता।

एक शिक्षा मंत्री होने के नाते, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सीधा-सीधा प्रश्न पूछा कि कितने स्कूल की संख्या 15 से कम थी, कितने स्कूलों की संख्या 30 से कम थी? उसमें कितने अध्यापक काम कर रहे थे और उस पर सरकार कितना व्यय कर रही थी?

क्योंकि आपने प्रश्न के उत्तर में दिया है कि यह जो 19,754 स्कूल हैं आर.टी.ई. के नियम में है, 2450 तो हमने ही वापस खोल दिये, वह तो हमारे अधिकारियों की जो बात आयी थी उस आधार पर खोल दिये लेकिन 19,754 स्कूल आपने माना है कि आर.टी.ई. के नियमों के तहत सही मर्ज किये गये।

(श्री वासुदेव देवनानी)

लेकिन मेरा जो पहला प्रश्न है वह यह है कि कितने-कितने स्कूल क्यों बंद किये? 15 से कम कितने थे, 30 से कम कितने थे? उनकी संख्या नहीं बतायी। फिर कितना स्कूलों में खर्च हो रहा था, वो आपने नहीं बताया, कितने अध्यापक काम कर रहे थे, उसका कहीं उत्तर ही नहीं है। उत्तर आएगा तो यह सारे मेजें थपथपाने वाले चुप हो जाएंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कहीं नहीं पूछा कि किस विद्यालय में कितने टीचर थे? आपने कहीं भी नहीं पूछा, कितना खर्च हो रहा था।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मर्ज किये थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक मिनट, एक मिनट। मेरे को जवाब देने दीजिए, आपने पांच साल बोल दिया, हमें भी देने दीजिए।

आपने केवल यह पूछा है कि आर.टी.ई. नार्म्स के विपरीत कितने बंद किये गये? तो हमने जो आपने पुन: खोले वो भी बता दिये और अब हम समीक्षा करवा रहे हैं कि आर.टी.ई. नार्म्स के विपरीत कितने बंद हुए, उनको पुन: खोलेंगे। अगर आर.टी.ई. नार्म्स से ही दिये गये तो साढ़े चार लाख विद्यार्थियों को ट्रांसफर वाउचर एक से आठ तक की कक्षा के आपने क्यों शुरु किये? वो इसलिए किये गये कि आर.टी.ई. नार्म्स में यह है कि एक किलोमीटर तक प्रारम्भिक विद्यालय और मिडिल तक आठवीं का विद्यालय होना चाहिए उस बच्चे को पढ़ने के लिए चाहे उसकी संख्या कितनी भी हो। और आर.टी.ई. तो यह कहती है कि अगर 30 बच्चे हो गये, दो प्रारम्भिक पास-पास में हैं तो उसको आप मिडल खोलिये। इनकी सरकार ने नियम का इन्टरप्रिटेशन जो किया वो उलटा कर दिया कि राजस्व ग्राम 39 हजार हैं, 86 हजार विद्यालय कैसे हो सकते हैं। इसलिए केवल बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना पड़े, शिक्षक नहीं लगाना पड़े, स्टेट का खर्चा बचता रहे इसलिए राजनीतिक द्वेषता से यह विद्यालय बंद किये थे।

हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम समीक्षा करवाएंगे और जहां आवश्यकता होगी और जो जनप्रतिनिधियों की राय आएगी कि यहां बच्चे होंगे, वहां पुन: विद्यालय स्थापित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजकुमार रोत।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा एक ही तो पूरक प्रश्न आया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि जिनमें जीरो बच्चे थे और स्कूल बंद किये, उनकी संख्या कितनी थी और उसमें कितने अध्यापक लगे हुए थे? जिनमें केवल 15 बच्चे थे और स्कूल बंद करना पड़ा, उसमें कितने अध्यापक लगे हुए थे? जिनमें 30 बच्चे थे, केवल 30 और 30 से कम, उनमें कितने अध्यापक लगे हुए थे? क्या बच्चों की संख्या न होते हुए भी अधिक अध्यापकों को लगा करके, उनको घर पर बैठे रहने के लिए सरकार तनख्वाह देने का मानस रखती है या जनता के पैसे को बचाने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए उन 30 बच्चों की व्यवस्था उसी के नजदीक की जगह अगर की जाए और वो पैसा बचाया जाए तो उचित है या नहीं है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि 142 ऐसे प्राथमिक विद्यालय थे जिनमें जीरो नामांकन था, 28,013 ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय थे जिसमें 30 से कम नामांकन था लेकिन आपने आर.टी.ई. नार्म्स के विपरीत इन विद्यालयों को बंद किया। अगर उसका जस्टिफिकेशन आप यह लेते हैं कि, साहब, वहां पर कम बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ज्यादा चाहिए और उस पर सरकार को खर्चा आएगा, हमारी सरकार तो यह नहीं मानती है, हम तो आर.टी.ई. नार्म्स के मुताबिक चलते हैं कि आर.टी.ई. नार्म्स में स्पष्ट प्रावधान है कि एक किलोमीटर वो प्रारम्भिक कक्षा का विद्यार्थी, बच्चा पढ़ना चाहिए और आठवीं तक हो तो दो किलोमीटर में उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए। आपके गलत काम का जस्टिफिकेशन आप हमसे करवाना चाह रहे हैं, यह सरकार कतई नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): हम समीक्षा करवाएंगे और जो जरुरी होगा वो विद्यालय, आर.टी.ई. नार्म्स का होगा उसको खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इसका अंत नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकिण्ड। (व्यवधान)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): प्रश्न संख्या 46.

श्री अध्यक्ष: राजकुमार जी, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक ही गांव में पहले अपन छठी से दसवीं अलग करते थे और इस बार पहली से लेकर दसवीं का एक हिस्सा कर दिया। तो एक ही गांव में जो दो-तीन प्राइमरी स्कूल और चलते थे उनको अगर उसके साथ मर्जर कर दिया तो क्या गुनाह हुआ, उसी गांव में। क्योंकि पहले जो सिस्टम था सैकण्डरी का छठी से शुरु होता था बारहवीं तक का और प्राइमरी अलग था। हमने प्राइमरी, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी को एक क्लब कर दिया और उसी गांव में जो संस्था चल रही है उसमें पहली से लेकर के बारहवीं तक की पढ़ने की व्यवस्था हो गयी और उसके कारण से हमारा मैन पावर भी बच रहा है, वैस्टेज बच रहा है, 30 बच्चों से स्कूल चल रहा है, उसको रोकने की कोशिश की तो क्या गुनाह किया?

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो इन्होंने किया उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और यह इनका धर्म भी बनता है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): लेकिन इन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो आर.टी.ई. एक्ट के नार्म्स के अनुसार पूछा है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): जो मेरा जवाब है वो नार्म्स के हिसाब से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, हो गया। अगला प्रश्न। राजकुमार रोत। (व्यवधान)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): प्रश्न संख्या 46. ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हो गया अब। अलाउ कर दिया मैंने। लीडर को अलाउ कर दिया मैंने, प्लीज। श्री राजकुमार रोत।

अनुसूचित क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रोफेसरों के रिक्त पद

46. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर के रिक्त पद हैं? यदि हां, तो सरकार अब कब तक इन पदों को भरने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित क्षेत्र में प्रशिक्षण व भर्ती में 45 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यदि हां, तो कालेज शिक्षा में प्रवेश के लिए 12 प्रतिशत ही आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? उक्त संवर्ग के बारहवीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने में सरकार की क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के अधिकांश पद भरे हुए हैं। महाविद्यालयवार शिक्षकों के स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है। शेष रिक्त पदों को स्थानान्तरण व राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर भरा जा सकेगा।

(2) जी नहीं। शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(6)शिक्षा-1/2007 दिनांक 18.02.2010 के अनुसार राज्य के समस्त शिक्षक-प्रशिक्षण पाठयक्रमों (एम.एड., बी.एड., बी.पी.एड., शिक्षा शास्त्री, एस.टी.सी.) में अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के युवाओं को, प्रावधित 12 प्रतिशत का 45 प्रतिशत आरक्षण, सम्पूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक -प्रशिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू किया गया है। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12 प्रतिशत आरक्षण के अध्यधीन ही है। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(6)शिक्षा-4/2007 दिनांक 04.07.2016 द्वारा उपरोक्त व्यवस्था राज्य में स्थित समस्त उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धी प्रवेश परीक्षाओं एवं समस्त उच्च शिक्षा विभाग सम्बन्धी संस्थाओं (महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय) में व्यवसायिक पाठयक्रमों यथा- एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.बी.ए., बी.बी.ए., बायोटैक्नोलोजी की

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, स्नातक डिप्लोमा तथा अन्य सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी लागू कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र में 21 महाविद्यालय हैं। इनमें कितने परसेंट रिक्त पद हैं? इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र में जो नौकरियों में 45 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, उसी अनुरुप क्या महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए सरकार कोई मंशा रखती है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, भरे हुए और रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-01 में संलग्न सूची के अनुसार पूरा दिया गया है। इन पदों को भरने के लिए भी आरपीएससी को अभ्यावेदन भिजवाया गया है। उसके माध्यम से और स्थानान्तरण के माध्यम से सरकार पूरा करने का विचार रखती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा जो मूल प्रश्न पूछा गया, उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसके अनुसार वर्तमान में 16 परसेंट एस.सी., 12 परसेंट एस.टी., 21 परसेंट ओ.बी.सी., 1 परसेंट एस.बी.सी. और 50 परसेंट जनरल का प्रावधान भारत सरकार के निर्देशानुसार है। माननीय विधायक कह रहे हैं कि जो टीएसपी क्षेत्र है उसमें 12 परसेंट का 45 परसेंट, विभिन्न पाठ्यक्रमों में आरक्षण भर्तियों में भी और व्यावसायिक कोर्सेज में भी है। माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो 12वीं उत्तीर्ण छात्र हैं, उनको बी.ए., बी.एस.सी. और बी.काम. इन पाठ्यक्रमों में भी टीएसपी क्षेत्र का जो 45 परसेंट आरक्षण है, वह मिले। यह इनके मूल प्रश्न की मांग है। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने के लिए सरकार की उक्त नीति अर्थात एस.टी. वर्ग के लिए 12 परसेंट आरक्षण के अनुसार ही लागू है। विधायक महोदय के द्वारा पूछे गए प्रश्न के माध्यम से और उचित माध्यम से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर ही आगे निर्णय जनहित में लिया जा सकेगा।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि अनुसूचित क्षेत्र में 45 प्रतिशत आरक्षण का नौकरियों में प्रावधान है। उसी तरह क्या सरकार महाविद्यालयों में प्रवेश पर भी 45 प्रतिशत आरक्षण लागू करने

(श्री राजकुमार रोत)

की मंशा रखती है? अनुसूचित क्षेत्र में 21 महाविद्यालय हैं। वर्तमान में 50 परसेंट व्याख्याता कार्यरत हैं और 50 परसेंट रिक्त पद हैं। क्या यहां सरकार अस्थायी तौर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है अथवा स्थानान्तरण करने के लिए कोई प्रावधान करना चाहती है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में पूरे राजस्थान में 2000 शिक्षकों के पद 252 महाविद्यालयों में रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए आरपीएससी को 830 पदों की अभ्यावेदन भिजवाई गई है। उसके माध्यम से जो पद भरे जाएंगे, उसमें भी टीएसपी क्षेत्र के जो कालेजेज हैं, उनमें पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, उसके साथ-साथ जो आपने 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग से आरक्षण 45 परसेंट देने की विधायक महोदय जी ने जो बात कही है, उसके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा पीएमटी परीक्षा एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों यथा एम.एड., बी.एड., बी.पी.एड., शिक्षा शास्त्री, एस.टी.सी. आदि में लागू आरक्षण व्यवस्था की तर्ज पर समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों के जिन भी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण लागू है, उन सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत में से 45 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित रखे जाने का नीतिगत निर्णय 04.07.2016 के द्वारा लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत आरक्षण में से 45 प्रतिशत अर्थात 5.5 प्रतिशत आरक्षण भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति निवासियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के अध्यधीन ही देय होगा तथा प्रवेश स्थान रिक्त रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों से भरे जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने पूर्व में भी प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन

(श्री भंवर सिंह भाटी)

जो सुझाव आए हैं, उस पर परीक्षण कराकर के, जो भी जन हित में ठीक होगा, उसके लिए सरकार के द्‌वारा प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक लास्ट है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। अमीन खां जी, बोलें। अगला प्रश्न।

बाड़मेर-जैसलमेर जिले में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र

47. श्री अमीन खां (शिव): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीमावर्ती जिला बाड़मेर, जैसलमेर में कितने सब सेंटर हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें चिकित्सक पदस्थापित नहीं हैं व कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिसमें कोई स्टाफ पदस्थापित नहीं है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (डा. सुभाष गर्ग): (1) प्रदेश में कुल 14378 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में जिला बाड़मेर में 760 एवं जैसलमेर में 169 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। पंचायत समितिवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जिला बाड़मेर में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों क्रमश: दूधवा पंचायत समिति बालोतरा एवं घोनियां पंचायत समिति चौहटन में चिकित्सक पदस्थापित नहीं है। जिला जैसलमेर में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहगढ़ पंचायत समिति सम में चिकित्सक पदस्थापित है किन्तु चिकित्सक के सी.पी.एस. पाठ्यक्रम में जाने के कारण पद रिक्त है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् नजदीकी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों द्‌वारा कार्य सम्पादन किया जा रहा है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

जिला बाड़मेर में 35 एवं जैसलमेर में 22 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई स्टाफ पदस्थापित नहीं है। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-स एवं द पर संलग्न है। वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में नजदीक के उप स्वास्थ्य केन्द्रों की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के वक्त में रेगिस्तान के 11 जिलों में कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिबंध था। इसके बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त में यह प्रतिबंध खतम हो गया। इस कारण से इन सीमावर्ती रेगिस्तानी इलाकों में हर प्रकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के पद बहुत ज्यादा खाली हो गए। क्या यह सरकार इन खाली पदों को भरने के लिए वापस इन रेगिस्तानी जिलों में प्रतिबंध लगाएगी या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई भर्ती विशेष तौर से जल्दी ही करके इन रिक्त पदों को भरेंगे?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाए हैं। एक तो शिक्षा में जो डार्क जोन है, 11 जिलों की जो बात की जा रही है, जो गत भाजपा सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया था, यह सही है कि यह प्रतिबंध हटाया गया था लेकिन अभी वर्तमान सरकार के विचार में आपके द्वारा जो बिन्दु लाया गया है, इसका हम परीक्षण करवाएंगे और सरकार इस पर निश्चित रुप से उन 11 जिलों के हित में, जनहित में जो निर्णय होगा वह निर्णय लेंगे। दूसरी बात कही कि पदों की भर्ती करने की प्रक्रिया, इस पर मैं बताना चाहूंगा कि 5200.....

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं समाजवादी नेता श्री जॉर्ज फर्नांडिस तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री भूदरमल के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

जॉर्ज फर्नांडिस, श्री, पूर्व सांसद

समाजवादी नेता श्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून, 1930 को

(श्री अध्यक्ष)

कर्नाटक के मंगलौर में हुआ। श्री जॉर्ज फर्नांडिस चौथी, छठी, सातवीं तथा नवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे। श्री फर्नांडिस अगस्त, 2009 से जुलाई, 2010 तक राज्य सभा के भी सांसद रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव वाले श्री फर्नांडिस ने लोक सभा तथा राज्य सभा की अनेक समितियों के सदस्य के रुप में अपना योगदान दिया। आप केन्द्र सरकार में संचार, उद्योग, रेलवे एवं रक्षा मंत्रालय के मंत्री भी रहे। रक्षा मंत्री के कार्यकाल के दौरान आपने देश के सैन्य बल का मनोबल ऊँचा रखने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मजदूरों के उत्थान के लिए समर्पित रहे श्री फर्नांडिस ने अनेक श्रम संगठनों से सम्बद्ध रहते हुए श्रमिकों के अधिकारों के लिए हुए आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। सादगीपूर्ण व्यक्तित्व वाले श्री फर्नांडिस ने मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय के लिए निरन्तर संघर्ष किया। श्री फर्नांडिस समाजवादी पार्टी के महासचिव तथा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे। आप लोक सभा में जनता दल (यू) संसदीय दल के नेता भी रहे। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री फर्नांडिस की 'व्हाट इज द सोशलिस्ट', 'द रेलवे स्ट्राइक 1974' तथा 'जॉर्ज फर्नांडिस स्पीक्स', शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुईं। आपने अंग्रेजी मासिक 'द अदर साइट' का सम्पादन किया तथा हिन्दी मासिक 'प्रतिपक्ष' के सम्पादक मंडल के चेयरमैन रहे। आप न्यू इंडिया को-आपरेटिव बैंक के संस्थापक चेयरमैन भी रहे।

श्री जॉर्ज फर्नांडिस का दिनांक 29 जनवरी, 2019 को निधन हो गया।

भूदरमल वर्मा, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री भूदरमल वर्मा का जन्म 6 जनवरी, 1937 को हुआ। आपने राजकीय इंटरमीडिएट कालेज, दौसा से इंटरमीडिएट से शिक्षा प्राप्त की। श्री भूदरमल वर्मा आठवीं राजस्थान विधान सभा में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा प्राक्कलन समिति-क के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री वर्मा राजस्थान प्रांतीय रैगर महासभा, पंच रैकारण समिति, दौसा तथा भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति, दौसा के अध्यक्ष रहे। पिछड़े वर्गों के छात्रों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्नशील रहे श्री वर्मा अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी परिषद, दौसा के संरक्षक तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में परिवर्तन हेतु गठित

(श्री अध्यक्ष)

समिति के सदस्य रहे। आपने रेलवे में स्टेशन अधीक्षक के रुप में भी अपनी सेवाएं दीं।

श्री भूदरमल वर्मा का दिनांक 31 जनवरी, 2019 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। (व्यवधान) प्लीज।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई)

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर दिनांक 23 जनवरी, 2019 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है-

"अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक: प.17(5)/राभ/2016/1069 दिनांक 31 जनवरी, 2019" प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपका अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक: एफ.10(1)/सदन/विस/2019/4803 दिनांक 23 जनवरी, 2019 प्राप्त हुआ।

"माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।"

सादर, सद्भावी कल्याण सिंह।

दिनांक 11 फरवरी, 2019 को राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश पर सदन को अवगत कराया गया।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रदेश में चल रहे गुर्जर आंदोलन के तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): यह बहुत ही ...(व्यवधान) सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): यह बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले दिनों 62 लोगों की जान जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): हमारा मुद्दा इसी तरह से अति आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं प्लीज। (व्यवधान)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): सरकार को इसको पूरी गम्भीरता से लेकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माइक बंद कर दें इनका। माइक बंद कर दें इनका। माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान) बैठें प्लीज। आप बैठें। (व्यवधान) अन्यथा मुझे सदन से बाहर निकालने के लिए कहना पड़ेगा। (व्यवधान) प्लीज बैठें। माननीय सदस्य, आप नए हैं, बैठें प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, नियमों को आप नहीं समझते। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मुझे कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आप नए सदस्य हैं, नियम समझें। जब अध्यक्ष खड़े हैं तब कृपया नहीं बोलें। कृपया नियम और परम्परा को मानें, नियम और कानून पढ़कर आएं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है-

(1) श्री गिरधारी लाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में बकाया राशि के नाम पर कृषि कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से रणथम्भौर सैंक्चुरी में बाघों की संख्या बढ़ने के कारण उनको मुकंदरा हिल में शिफ्ट नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कृषि जिंसों की खरीद हेतु भावी योजना लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में किसानों को दिन की अपेक्षा रात में की जा रही विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम सींगोद कलां के शेरु मंदिर की मूर्ति को खंडित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में 55 दिन से ज्यादा का समय व्यतीत होने के उपरांत भी किसानों का कर्जा माफ न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर में न्यायालय की रोक के कारण कुलपति का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, श्री रामलाल शर्मा श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं अन्य सदस्यों तथा श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में उपखण्ड अधिकारी घड़साना व तहसीलदार रावलामंडी के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का अत्यधिक दबाब होने के कारण हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।

(5) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में पेयजल की समस्या का समाधान करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की पेयजल योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में।

(7) सुश्री दिव्या मदेरणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ओसियां के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(8) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से देश में व्यापार करने वाले प्रदेश के मारवाड़ियों की सुरक्षा हेतु देश में राजधानी स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना किये जाने के संबंध में।

(9) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के किसानों की सेम समस्या का निराकरण किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 11 फरवरी, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 19 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**नाम मा. सदस्य**	**विषय**
1.	श्री फूल सिंह मीणा	उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में स्थित पंचायतों में नेटवर्क की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2.	श्री हनुमान बैनिवाल	राज्य में गुर्जर आंदोलन से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
3.	श्री बलवान पूनियां	दस्तबदारी के अनुसार भूमि रुपांतरण हेतु ली जाने वाली स्टांप फीस कम किये जाने के संबंध में।
4.	श्री शंकर सिंह रावत	ब्यावर शहर में सड़कों एवं सिवाय चक भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरु): अध्यक्ष महोदय, गुर्जर आरक्षण पर मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्षः आपको भी बोलने का अवसर देंगे उस समय। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन एवं नारे)

श्री अध्यक्षः स्थगन प्रस्ताव। श्री चन्द्रभान सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

चित्तौड़गढ़ में किसानों को रात में की जा रही विद्युत आपूर्ति

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 2013 से 2018 के बीच में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः एक मिनट, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, यह विषय चर्चा में है। आप अपने स्थान पर जाएं, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बैठिये अपने स्थान पर जाकर। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं, नहीं तो सदन से बाहर निकालने की कार्यवाही करुगा मैं। अपने स्थान पर जाएं, नहीं तो मुझे बाहर निकालने की कार्यवाही करनी पड़ेगी। श्री चन्द्रभान जी।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में उस समय 6 घंटे लाइट आ रही थी और दिन में भी लाइट दी जा रही थी। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से रात को लाइट आने लग गयी। तीन से चार घंटे आने लग गयी। वास्तव में लाइट की बहुत भारी समस्या है। रात में लाइट आने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी है, रात को लोग पानी पिला नहीं पाते हैं। फसलें बड़ी-बड़ी हैं, उसके कारण वहां तीन से चार लोगों की मौत भी हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके घोषणा पत्र में भी था कि हम आठ घंटे लाइट देंगे। इसे भी चालू करवायें तथा दिन में भी लाइट दें, क्योंकि लोग काफी परेशान हैं। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हो रहा है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है। सम्पूर्ण ऋण माफी भी नहीं हो पा रही है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपने मुद्दे पर आएं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): आज सदन में मुख्य मंत्रीजी भी नहीं हैं। लाइट की समस्या को आप साल्व करवायें। लाइट भी 6 घंटे से 8

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

घंटे उन्हें दिलवायें। दिन में लाइट दिलवायें। लाइट की समस्या बहुत भारी है। सरकार इसका जवाब भी दे। इस सरकार के बारे में भी सोचें कि यह सरकार कैसे चल पाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष: जवाब देना अनिवार्य नहीं है। श्री रामलाल शर्मा।

सींगोद कलां के शेषावतार की खण्डित मूर्ति से क्षेत्र में आक्रोश

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सींगोद कलां में साढ़े सात सौ वर्ष पुराना एक शेषावतार जी का मंदिर है, जिससे हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इस 7 तारीख की रात को लगभग 11 से 3 बजे के बीच इस मंदिर में कुछ असामाजिक तत्व प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके साढ़े सात सौ वर्ष पुराने इस मंदिर की मूर्ति को खण्डित करने का काम करते हैं। इस मंदिर की मूर्ति में लगे जितने भी जेवरात थे, उन्हें चुराने का काम करते हैं और साथ ही इस मंदिर परिसर में एक अलमारी रखी थी, जिसमें काफी आभूषण इस मंदिर के रखे थे, उनकी भी चोरी करते हैं।

अध्यक्ष माहोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करुगा कि इस सींगोद कलां ग्राम पंचायत में तीन-चार मंदिर और हैं, जिनमें इस प्रकार की घटना कई बार घट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस सक्रियता नहीं दिखाती और इसी का परिणाम है कि इन गम्भीर घटनाओं को अंजाम दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद हजारों लोग पिछले चार दिन से लगातार धरने पर हैं। पुलिस ने अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे ग्रामीण लोग आश्वस्त रहें। अभी तक भी पुलिस ने न टावर लोकेशन निकलवाने का काम किया है, न वीडियोज निकलवाने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करुगा कि साढ़े सात सौ वर्ष पुरानी मूर्ति खण्डित होना, आभूषण चोरी होना और पुलिस की निष्क्रियता की वजह से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होना, इससे जनता में काफी आक्रोश है और कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। मैं आपके

(श्री रामलाल शर्मा)

माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि तत्काल इस घटना को गंभीरता से लेकर इस पर आवश्यक कार्यवाही कराने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: रिप्लाई कोई मस्ट नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर एक बार फिर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जन घोषणा पत्र में,

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीगण, प्लीज। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाइये।

किसानों की कर्जा माफी

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा पत्र में जो शब्द लिखे हैं, महज औपचारिक घोषणाओं का दस्तावेज नहीं, बल्कि आपके विश्वास और हमारे संकल्प का साक्षी है। इन शब्दों को पढ़ने के बाद हरेक को लगता है कि सरकार निश्चित रुप से जो भी काम करेगी, वह बिल्कुल ही जन घोषणा पत्र की भावना का सम्मान करते हुए उसके अनुसार करेगी।

जन घोषणा पत्र का पहला बिन्दु है, दस दिनों में किसानों का ऋण माफ करना। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी आपसे निवेदन किया। दस दिन का मतलब दस दिन। 17 को शपथ ली और उसके दो दिन बाद एक आदेश निकाला और उस आदेश में जिस प्रकार के भाव हैं, उससे संपूर्ण कर्ज माफी का एहसास नहीं होता है। न तो किसान को होता है, न इस घोषणा पत्र के आधार पर सरकार जो कुछ भी समय-समय पर अपनी घोषणाएं कर रही है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में इस सरकार की मंशा दस दिन में कर्जा माफ करने की है या नहीं है।

अध्यक्ष जी, यह जो एक राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 में जो लिखा है, इसमें एक बिन्दु मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वास्तव में यह सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि यह कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है। इसमें 3.4 पर लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक द्वारा लिये गये ऐसे कृषि ऋण जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को अवधिपार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं हैं, इस योजना के अंतर्गत माफी हेतु पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब जो 30 नवम्बर को अवधिपार की सीमा में आएंगे, उन्हीं का कर्जा माफ होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि ऋण के बारे में बहुत विनम्रतापूर्वक सरकार के सामने कहना चाहता हूं कि पिछले सितम्बर में हमने कैंप लगाकर जो पचास हजार रुपये तक का कर्जा माफ किया था, 27 लाख 30 हजार किसानों को पचास हजार तक की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र हम 6 हजार से अधिक कैंप लगाकर दे चुके थे। फिर उसके बाद जो कर्जा है, वह तो अवधिपार होगा भी नहीं, क्योंकि अवधिपार कर्जा तो तब होता है जब कर्जा लेने के छह महीने तक अगर वह नहीं चुकाता तो अवधिपार हुआ।

इसका मतलब उसके बाद में जो पैसा बचा पचास हजार से अधिक, सरकार ने दबाव में आकर, हमारे आंदोलन और हमारे इस बात को बार-बार उठाने से 7, 8 और 9 को राजस्थान के किसानों को गुमराह करने के लिये कैंप लगा दिये और वह भी एक जिले में पांच और उसमें भी कहीं 46 किसानों को, कहीं 102 किसानों को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र दिया। वह कर्जा माफी का प्रमाण पत्र क्या है? जो पचास हजार रुपये से बाहर का कर्जा था, जैसे किसी का 72 हजार रुपये था तो 22 हजार का जो अतिरिक्त बचा हुआ था, वह अवधिपार में आया, उसको पकड़ा दिया।

जबकि आप अपने घोषणा पत्र में तो लिखते हो कि सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि राजस्थान का किसान आपकी इस बात को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। किसान की कर्जा माफी का मतलब राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा भी है, भूमि विकास बैंक का कर्जा भी है, अरबन को-आपरेटिव बैंक का भी है, जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका कर्जा भी है और किसानो का फसली ऋण भी माफ है पर इसमें आपने लघु और सीमांत को फंसा दिया। अब आपकी ऊपर वाली भाषा में तो लघु और सीमांत नहीं है पर इसमें तो आपने लघु और सीमांत को और फंसा दिया और उसमें भी जो ओवर-ड्यूज हुए हैं उनका ही कर्जा माफ करेंगे तो आप इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हो और एक तरह से जनता को बार-बार गुमराह करने के लिए नये-नये पैंतरे कर रहे हो। सच बात क्यों नहीं कहना चाहते हो कि आप क्या करने वाले हो और क्या होने वाला है? आप केवल इतना बता दो कि आपकी इस जन घोषणा पत्र की घोषणा के आधार पर कितने किसानों का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कर्जा माफ होगा। वह संख्या तो बता दो कि 2 का होगा, 100 का होगा, 10 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, 65 लाख का होगा। कितने किसानों का आपकी इस घोषणा के आधार पर कर्जा माफ होगा? उसकी जब संख्या ही तय नहीं करोगे तो आप माफ किसका करोगे? और जब माफ होने वाला है तो आपको यह भी तो पता होगा कि इतने करोड़ रुपये माफ होंगे।

एक तरह से आपने राजस्थान के उस भोले-भाले किसान को दस दिन का लालच देकर यह कहा कि दस दिन के बाद जादू हो जाएगा। अब दस दिन के बजाय आज 54वें दिन में अपन फिर से मिल रहे हैं और 54 दिन के बाद सरकार यह बता दे कि अब तक हमने इतना पैसा किसान के खाते में डाल दिया और इतने किसानों के खातों में डाल दिया, कम से कम यह तो स्पष्ट करें। सच में जिस प्रकार का एक तरह से किसान के साथ छलावा हुआ है उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। जिस प्रकार से आपने सम्पूर्ण कर्जे माफ की दस दिन की घोषणा की थी तो आपको सौगन्ध किसने दिलाई कि दस दिन ही डालो? आप अपने घोषणा पत्र में लिखते कि एक साल बाद, छह महीने बाद, आठ महीने बाद होता, जब भी होता तब होता पर दस दिन की जो आपने लाइन डाली और वो भी आपके घोषणा पत्र का बिन्दु नम्बर 1 है कि दस दिन में सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे। अब यह समझ में नहीं आ रहा है, न तो किसान को आ रहा है, न राजस्थान की जनता को आ रहा है, न हम यहां जन-प्रतिनिधि बैठे हैं उनमें से ईमानदारी से कोई खड़ा होकर कह दे कि वास्तव में इस लाइन के आधार पर इसका मतलब क्या समझते हैं कि कर्जा कितने लोगों का माफ होगा, कितना रुपया माफ होगा, कब माफ होगा, कब उसके खाते में पैसा जाएगा इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण अभी भी नहीं हुआ है। बार-बार आप इधर-उधर घूम रहे हो और यह आपके गले में फांसी है। फिर आपने एक प्रेम पत्र लिख दिया प्रधान मंत्रीजी को, क्या अर्थ हुआ उस प्रेम पत्र को यहां पढ़ने से? क्या आपने उस घोषणा पत्र में डाला था कि हम एक प्रेम पत्र लिखेंगे? मतलब क्या है इसका? आप जनता को बार-बार गुमराह कर रहे हो। सच में इस बारे में आप स्पष्ट करिये कि राजस्थान में आपकी इस घोषणा के आधार पर कितने लाख किसानों का कितना करोड़ रुपया माफ होगा और कब तक उनके खाते में आ जाएगा? इतना उत्तर मैं आपसे चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं प्रार्थना पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। यह जो जन घोषणा पत्र के आपके वाक्य हैं ये किसान को बहुत ही अच्छे लगते हैं लेकिन वाक्य की परिणति क्या है यह बताइए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): आप हमारे साथ +++ करते हो, हमें दो मिनट से एक सैकिण्ड ऊपर नहीं बोलने दे रहे और ये रोज बोलते हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य, बैठें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नेता, प्रतिपक्ष हैं ये। नेता, प्रतिपक्ष हैं, नियमों को पढ़कर आइये आप। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये असत्य बोल रहे हैं, वो रटा-रटाया भाषण सुना रहे हैं। (व्यवधान) कहां गई थी इनकी कर्जमाफी। ये असत्य बोल रहे हैं और फिर ये असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस किताब ने अधिकार दिया है, आपने नहीं दिया। (व्यवधान) इस किताब ने अधिकार दिया है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): आप **+++** कर रहे हैं, अध्यक्ष जी। आप **+++** कर रहे हैं। रोज वही भाषण सुनाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। नीचे बैठें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ये इधर वाले धोखा देने वाले हैं, इधर वाले भी दे रहे हैं। इतना लम्बा भाषण मत सुनवाओ, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, नीचे बैठिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये। नीचे बैठिये। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। उप नेता जी, अध्यक्ष इतना वीक नहीं है, आप कृपा करके अपने सदस्यों को कहें, यह जिम्मेदारी मेरी है। आप बीच में अपने सदस्यों को खड़ा करें, यह भी उचित नहीं है। यह जिम्मेदारी मेरी है कि मैं सदन को कैसे चलाऊं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि यह गलत परम्परा है, अध्यक्ष का काम अध्यक्ष करेगा, प्रतिपक्ष के नेता बोलें तो कोई बोलेगा तो रोकने का काम मेरा है। आप मेहरबानी करके सदस्यों को खड़ा करने से रोकें। यह मेरा काम आप ले लेंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करुगा और खास तौर से नये सदस्यों से कि प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता जब बोलते हैं तो उनके बीच में कृपया आप इंटरवीन नहीं करें। आप नियम पढ़कर आएं और उनका पालन करें। प्रतिपक्ष के नेता जब-जब बोलेंगे तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। माननीय कटारिया जी। माननीय कटारिया जी, बोलना है आपको?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही आपके माध्यम से सरकार की तरफ से जवाब चाहता हूं कि वास्तव में आपने यह जो सम्पूर्ण कर्जमाफी की बात कही है और जो आपने कैम्प लगाये हैं उसके तहत किसान को क्या मैसेज देना चाहते हैं वह स्पष्ट कर दो तो फिर आपसे आगे बात कर सकते हैं। बाकी इससे तो लगता है कि यह केवल एक धोखा है और इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बोलना है? बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर एक लाख किसान इसके विरोध में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय सदस्य, नहीं बोलें। आप बैठिये। अलाउ नहीं है। नाट अलाउ। आप अलाउ नहीं हैं। रिकार्ड नहीं किया जाए, रिकार्ड नहीं किया जाए। (व्यवधान) इतने सीनियर हैं आप। आप बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। आप सीनियर आदमी हैं, प्रतिपक्ष के नेता बोल गये और फिर आप खड़े हो गए। आप प्रतिपक्ष के नेता से बड़े नेता हैं क्या? प्रतिपक्ष के नेता बोल गये, मंत्री बोल रहे हैं और आप बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के द्वारा जब कभी कोई मौका देखा जाता है तो किसानों की कर्जमाफी की बात उठाते हैं और उठाकर पूरे प्रदेश में इस तरीके का अपना मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों के अगर हमदर्द हैं तो हम ही हैं बाकी कांग्रेस तो किसान विरोधी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनें, सुनें। यह तरीका ठीक नहीं है। (व्यवधान) आप सुनना भी नहीं चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आपने मुझसे पूछा है। सुनें। कृपया, सुनें। जब आपने 50 हजार रुपये की घोषणा की थी कि 50 हजार रुपये के कर्जे माफ होंगे तो क्या आपने उस वक्त जनता को यह बता दिया था कि इतने लाख आदमियों के कर्जे माफ होंगे? नहीं बताया आपने, नहीं बताया था। (व्यवधान) नहीं बताया। बिलकुल नहीं बताया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने 29 लाख की संख्या बताई।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप असत्य बोल रहे हो। असत्य बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने 29 लाख 30 हजार। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं बताया, आप असत्य बोलते हो। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। ये नाटक करके वैल में आकर चिल्ला सकते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमने संख्या बतायी। 29 लाख 30 हजार किसानों की संख्या बतायी और 8400 करोड़ रुपया बताया। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नाटकबाजी करते आये हैं। (व्यवधान) ये राजस्थान के किसान के साथ धोखा कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुनना है आपको? माननीय सदस्य, आपको सुनना है? जवाब नहीं सुनना? (व्यवधान) श्री वासुदेव देवनानी। 295, श्रीमती संतोष। श्रीमती शकुंतला रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बानसूर में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि अलवर जिले के बानसूर में चिकित्सा सुविधा का अभाव है। साथ ही बानसूर सीएचसी एवं नारायणपुर सीएचसी में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। पिछली सरकार में लगातार पांच साल तक सदन में मैंने मांग

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

उठायी तब मंत्रीजी ने जवाब में डेढ़ महीने में लगाने का आश्वासन दिया था लेकिन पूरे पांच साल बीतने के बाद भी आज तक नहीं लगाया है। अत: अब मंत्री महोदय से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ बानसूर व नारायणपुर कस्बों में लगवाएं। इसके अलावा हरसौरा एवं कराणा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करें तथा बानसूर एवं नारायणपुर सीएचसी को भी क्रमोन्नत कर जनता को राहत प्रदान करें। साथ ही शिशु रोग तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ लगाएं तथा सभी रिक्त पदों को तुरन्त भरने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सफिया जुबेर।

रामगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात के अत्यधिक दबाव होने के कारण दुर्घटनाएं

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जवाब तो सुनो, कम से कम जवाब सुन लें। आप जवाब नहीं सुनना चाहते।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में अलवर से रामगढ़ एवं नौगांवा बार्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अत्यधिक वाहनों के आवागमन के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिसमें लोगों को जान गंवानी पड़ती है। यहां तक कि आस-पास के गांवों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जब तक घर नहीं पहुंच जाते, तब तक उनके परिजनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिन्ता व बेचैनी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ के पास रेलवे क्रासिंग होने के कारण, वहां भी घंटों जाम लगा रहता है। जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी के कारण स्थानीय निवासियों द्वारा काफी लम्बे समय से सड़क के दोहरीकरण की मांग की जा रही है। अंत में, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम, 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से हनुमान सर्किल अलवर से नौगांवा बार्डर तक फोरलेन का निर्माण....

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): और चिल्लाओ, कर्जा माफ हो चुका है, 24 लाख 40 हजार आदमियों का कर्जा माफ हुआ है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्रीमति सफिया जुबेर (रामगढ़): ...करने तथा रामगढ़ कस्बे में रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के लिए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री गिरधारीलाल, श्री गिरधारीलाल।

डूंगरगढ़ में पेयजल समस्या का समाधान

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष जी...

श्री अध्यक्ष: गिरधारीलाल जी, गिरधारीलाल जी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): मैं आपका ध्यान श्रीडूंगरगढ़ तहसील विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल जी, गिरधारीलाल जी। सूर्यकांता जी, सूर्यकांता जी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बीकानेर जिले के अन्दर श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भारी कमी है, 70 गांवों में ट्यूबवैल फेल हो चुके हैं। यही हालात नगरपालिका क्षेत्र के हैं। मोटर पम्प, केबल व स्टार्टर ज्यादातर खराब पड़े हैं। इसी वजह से आये दिन ट्यूबवैल बंद रहते हैं। जिसके कारण आज भी सर्दी के मौसम में पीने के पानी की भारी समस्या बनी हुई है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हालात ये हैं, तो गर्मी में आने वाले समय में क्या हालात होंगे क्षेत्र के। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित समय सीमा में ट्यूबवैल की मोटर पम्प, स्टार्टर आदि की वाइंडिंग कर सुधार की जाए। केबलें डाली जाएं, जहां कर्मचारी नहीं हैं, वहां शीघ्र कर्मचारी लगाये जाएं।

(श्री गिरधारीलाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव, ढाणियों और पाठशालाओं में नये ट्यूबवैल बनाकर शीघ्र से शीघ्र पानी की सुव्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

सुश्री दिव्या मदेरणा।

ओसियां के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रिक्त पद एवं मूलभूत सुविधाएं

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ओसियां के स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओसियां में रिक्त पद भरने एवं मूलभूत सुविधा हेतु मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र ओसियां में स्थित पीजी महाविद्यालय, ओसियां शुरु होने के बाद आज तक कोई स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति नहीं की गई है एवं काफी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद भी खाली हैं। इस महाविद्यालय में करीब एक हजार छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन कालेज में पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण इनकी पढ़ाई सुचारु रुप से नहीं हो पा रही है। महाविद्यालय के अध्ययनरत छात्रों के लिए पुस्तकालय की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त महाविद्यालय में प्रवेश...

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): महोदय, पूरी दुनिया जानती है, कौन झूठा है। सबसे ज्यादा झूठे तो ये लोग खुद हैं। इनका **+++** (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है, इनको।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): ...हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ यह महाविद्यालय खुलने के बाद इसकी नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया, उसकी प्रथम मंजिल का कार्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन द्वितीय मंजिल का कार्य बजट के अभाव में शुरू नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि:-

1. पीजी महाविद्यालय, ओसियां में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति की जाए।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

2. पीजी महाविद्यालय, ओसियां में रिक्त पदों पर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए।
3. पीजी महाविद्यालय, ओसियां में स्वीकृत 15 अशैक्षणिक पद, जो रिक्त पड़े हैं, उन पदों की भी नियुक्ति की जाए।
4. स्नातक कला संकाय में दो सैक्शन और बढ़ाये जाएं एवं विषयों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए।
5. स्नातकोत्तर पाठयक्रम में हिन्दी एवं भूगोल विषय शुरु किए जाएं।
6. महाविद्यालय में पुस्तकालय हेतु बजट आबंटित किया जाए।
7. महाविद्यालय के ऊपरी मंजिल के कार्य हेतु आबंटित कर निर्माण कार्य शुरु करवाया जाए।
8. महाविद्यालय हेतु आंबटित भूमि के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारी लाल, बिहारी लाल। धर्मेन्द्र कुमार।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री फूल सिंह मीणा, श्री हनुमान बैनिवाल..

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री बलवान पूनियां, बलवान पूनियां...

दस्तबरदारी के अनुसार भूमि रूपांतरण हेतु ली जाने वाली स्टाम्प फीस

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने किसानों की सुविधा के लिए भाइयों और बहनों की ओर से अपने निकटतम भाई बहन के नाम भूमि रुपांतरण के लिए दस्तबरदारी प्रथा में 100 रुपये के स्टाम्प पर नामांतरण करवाने की सुविधा लागू की थी।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आज जो लोग शोर मचा रहे हैं, इन्होंने इस नामांतरण की न सिर्फ राशि बढ़ाई, बल्कि भाई और बहन की

(श्री बलवान पूनियां)

जो जमीन दस्तबरदारी करने की, जो रिवाज थी। उसमें किसानों की जेब फड़वाने का काम किया था और जिस जमीन पर 100 रुपये के स्टाम्प पर दस्तबरदारी होती थी, उसमें 800 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपये की भूमि रुपांतरण पर किसान को 1500 रुपये स्टाम्प फीस व दूसरी फीस भरनी पड़ रही है। यदि स्थानांतरण की कीमत 10 लाख से अधिक है तो 6800 रुपये किसान को भुगतान करना पड़ता है। जबकि भाइयों और बहनों के भानजे और भानजियों के भूमि रुपांतरण में सरकार कम से कम किसान के 100 रुपये, 200 रुपये के स्टाम्प पर ये भूमि नामांतरण करवा सकती है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये भूमि रुपांतरण दस्तबरदारी पहले की तरह सस्ते में हो, ताकि लोगों की, किसानों की जेब न काटी जाए।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पहले जो 10 रुपये का स्टाम्प था, पिछली सरकार ने उस स्टाम्प को 50 रुपये से बढ़ा कर दिया, वापस गरीब किसान के लिए 10 रुपये के स्टाम्प की व्यवस्था की जाए और दस्तबरदारी के लिए कम से कम किसान से टैक्स लिया जाए। ये मेरी सरकार से मांग है, साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बैनिवाल।

राज्य में गुर्जर आंदोलन से आमजन को हो रही परेशानी

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के अन्दर मलारणा, डूंगर के रेलवे ट्रैक सहित पूरे राजस्थान के विभिन्न हाई-वे पर और ट्रैक पर पिछले चार दिनों से गुर्जर समाज के लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं, इनकी वजह से ही गुर्जर आरक्षण अटक गया था। पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर इन लोगों ने 72 गुर्जरों की निर्मम हत्या की, उनके सीने पर गोलियां बरसाईं।

अध्यक्ष महोदय, अगर इनके अन्दर जरा सी भी इंसानियत होती, तो कर्जमाफी की और गुर्जरों के आरक्षण की पैरवी करते। उस समय कहां गये थे जब इनकी सरकार 2003 से 2008 और 2013 से 2018 यहां पर थी। वसुंधरा

(श्री हनुमान बैनीवाल)

जी के, मुख्य मंत्री के चैम्बर के अन्दर बैठकर मीणा समाज के लोगों को गुर्जरों पर अटैक करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत भेजा था।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस मामले की जांच की भी मांग करता हूं। उस समय अगर सीबीआई जांच होती तो इस तरफ बैठे हुए कई मंत्री सलाखों के पीछे होते। अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली की सरकार सवर्ण जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण दे सकती हैं तो गुर्जर समाज को भी संविधान संशोधन करके 5 प्रतिशत आरक्षण दिल्ली की सरकार को गुर्जरों को देना चाहिए। ये सिर्फ वोट के लिए, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, वसुन्धरा के इशारे पर गुर्जर समाज के लोगों को ट्रैक पर बिठा दिया, हाई-वे जाम कर रहे हैं। इनका काम यही रह गया, अध्यक्ष महोदय इस देश के अन्दर चाहे मराठा आंदोलन हो, गुजरात के अन्दर पाटीदार आंदोलन हो या हरियाणा के अन्दर जाटों के सीने पर जो गोलियां बरसाईं, वो **+++** के इशारे पर बरसाईं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर चुन-चुनकर, किसान के बेटों के सीने पर गोलियां बरसाई जा रही हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे मांग करता हूं और आप से भी मांग करता हूं आप दिल्ली प्रस्ताव लेकर जाएं और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अन्दर सरकार है, ये 5 प्रतिशत गुर्जरों को आरक्षण दे, उनको भी अनुसूची के अन्दर शामिल करे। संविधान संशोधन करके 72 वीर गुर्जरों ने जो शहादत अपने समाज के लिए दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि गुर्जर समाज आजादी के सत्तर साल बाद भी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं करवा पा रहा है। नौकरियों में उनका अनुपात बहुत कम है और 72 की शहादत देने के बाद भी सरकारें इनके साथ धोखा कर रही हैं। मैं कांग्रेस की सरकार से भी मांग करता हूं कि आप भी मसौदा तैयार करें और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वैल में खड़े हैं, ये किसानों के कर्ज माफी के मामले में थोथी वाहवाही लूटना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने पचास हजार का कर्जा माफ किया तो किसी का चौंतीस रुपये और किसी का चार सौ रुपये माफ हुआ था। तभी तो ये इस साइड में बैठ गये। मैं सदन के पक्ष और विपक्ष दोनों से मांग करता हूं कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था दुबारा नहीं बिगड़े और माननीय अध्यक्ष महोदय, गुर्जर समाज इस बार अकेला नहीं लड़ेगा, आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान का जाट

(श्री हनुमान बैनीवाल)

समाज भी गुर्जर समाज को हक दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेगा। सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी वहां दिल्ली में पैरवी करके गुर्जरों के आरक्षण की पैरवी करनी चाहिए और संविधान संशोधन करके पांच प्रतिशत आरक्षण दिलाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। बैनिवाल जी।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): ये गुर्जरों पर गोलियां बरसाने वाले हैं, इनके हाथ गुर्जरों के खून से रंगे हुए हैं। इनको पता था कि मेरी पर्ची है इसलिए वैल में आ गये। इनसे जवाब नहीं बन रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: मांग करता हूं कि गुर्जर समाज की मांग को माना जाए और इनको आरक्षण देकर सरकार वार्ता करे और उनको ट्रैक से उठाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगिन्दर सिंह।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुर्जर आरक्षण को लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

आप जानते हैं कि गुर्जर समाज पिछले लंबे समय से लगभग तेरह वर्षों से पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। मेरे दाहिने हाथ की तरफ मैं देख रहा हूं कि हमारे 72 लोगों की, जो शरीफ और निहत्थे लोग थे, इन लोगों ने हमारे समाज के लोगों की जान ली थी पिछले दिनों। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को कि पिछले चार दिनों से जो आंदोलन पूरे राजस्थान प्रदेश में चल रहा है, सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना किसी भी तरह की घट सकती है। पूरा समाज आज आंदोलन कर रहा है। मेरी मांग है इस गहलोत सरकार से कि जल्दी से जल्दी गुर्जरों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा करके केन्द्र सरकार को भेजे, जिससे किसी तरह की कोई ऐसी घटना न हो जो पिछले दिनों हुई है। मैं मांग करना चाहता हूं सरकार से कि जल्दी से जल्दी गुर्जरों के हक में फैसला लेते हुए सरकार तुरन्त गुर्जरों को यहां पांच प्रतिशत आरक्षण दे, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ी से बड़ी घटना इस पूरे प्रकरण को लेकर हो सकती है। मेरी यह सरकार से मांग है कि इसमें बिलकुल भी विलम्ब न करे, क्योंकि अगर हम किसी भी तरह का विलम्ब करते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है और ये जितना चिल्ला रहे हैं मैं देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे निर्दोष 72 लोगों की जानें ली थीं,

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

जिसको हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सरकार तुरन्त जल्दी से जल्दी फैसला ले और गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण की अनुशंसा करके भारतीय जनता पार्टी की जो केन्द्र में सरकार है उसको जल्दी से जल्दी भेजे, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो। धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हनुमान बैनिवाल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर की श्रीराम नगर योजना में बैक डेट में फर्जी पट्टे

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में इंदिरा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की श्रीराम नगर योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बैक डेट में फर्जी पट्टे जारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पृथ्वीराज नगर में इंदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति के बाबत जो बात कही है, मैं तो उसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने 30.11.14 के अन्दर-अन्दर इस सहकारी समिति को अपने सारे रिकार्ड पेश करने का टाइम दिया था। उसके तीन रोज पहले ही इस सहकारी समिति ने अपना रिकार्ड पेश कर दिया था और उस रिकार्ड के तहत 56 सदस्यों की सूची भी पेश कर दी थी और जो इकरारनामा किया था खातेदार के साथ वह 5.6.99 को किया था, लेकिन सहकारी समिति के द्वारा जो पट्टे वितरित किये गए वो 15.6.99 को किये गए तो इसलिए मोटे तौर पर इसमें कोई अनियमितता नजर नहीं आ रही है कि जो पट्टे जारी किये गए हैं, वो गलत हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना हो तो आप जरुर प्रोवाइड करवा दें। उस पर जांच की जा सकती है।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो-तीन सवाल हैं। मंत्री जी, आप सुन लें दो-तीन मेरे सवाल हैं। यह जो रिकार्ड पेश किया गया है इसमें 5.6.99 को भूमि का खातेदार से खरीदना बताया गया है, 15 साल के अन्दर इस चालीस हजार गज जमीन का कोई रिकार्ड पेश नहीं

(श्री हनुमान बैनीवाल)

किया गया और 15 साल पुराने रिकार्ड को मात्र तीन माह में, 28.11.14 को जमा व 28.2.15 को नियमन करके इसके पट्टे जारी कर दिये और पट्टे जारी करने से पहले जब समिति की नोटशीट चली तो जेडीए के सारे अधिकारियों ने पट्टा नहीं देने की बात कही थी। कहा था कि रेवेन्यू का बहुत-बड़ा नुकसान होगा, 6 करोड़ का नुकसान है। यह खाली जमीन है, लेकिन अभी जो वर्तमान हमारे सांसद हैं इनके बेटे का इस समिति के 11 सदस्यों में नाम है श्री राहुल बोहरा जो रामचरण बोहरा के बेटे हैं और जिनका आफिशियल एड्रैस भी इनके घर का एड्रैस दिया हुआ है। मैं मंत्री जी आपसे इतना ही चाहता हूं कि भाजपा राज में अगर किसी ने जमीनों का घोटाला किया और आप अगर उनको बचाओगे तो मैसेज यही जाएगा कि मिला-जुली का खेल है। आप इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें। सौ करोड़ का नुकसान सांसद रामचरण बोहरा के बेटे ने, आपको याद नहीं मंत्री जी कि आप पर भी किस तरीके के आरोप इन लोगों ने लगाये थे तो कम से कम इस मामले की आप जांच कराएं। इस पूरे प्रकरण की एसीबी से जांच कराएं और यह सौ करोड़ की जो राजकीय जमीन है इसके अन्दर अधिकारी इस जमीन का कैम्प नहीं लगाना चाहते थे, पट्टे नहीं देना चाहते थे, लेकिन सांसद के बेटे का नाम समिति के अन्दर रजिस्टर्ड कराकर उन्होंने पेश किया और यह मुख्य मंत्री के निर्देश पर, श्रीमती वसुन्धरा के निर्देश पर इस सोसाइटी के पट्टे बैक डेट में जारी किये। आप इस पूरे प्रकरण की अगर जांच कराओगे तो इसका मैसेज ठीक जाएगा, नहीं तो यह मैसेज जाएगा कि यहां ध्यानाकर्षण लगाने से कोई फायदा नहीं। फिर पुराने जो घोटाले हैं उन पर पर्दे डाल दो। आप उस चीज को मत भूलो कि आपकी भी जांच करवाई थी इन्होंने इसलिए आप भी इस मामले की जांच करा के और इस जमीन को अधिगृहित करें। यह मैसेज आप लोगों को दें और इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसें। इनमें भारतीय जनता पार्टी का सांसद शामिल है और श्रीमती वसुन्धरा राजे के इशारे पर इस सहकारी समिति को ये पट्टे जारी किये, 100 करोड़ की जमीन है। जेडीए की जमीन को बचाना है, सरकारी जमीन को बचाना है, आप एसीबी से इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, प्राइमाफेसी यह एग्रीमेंट जो खातेदारों के और सहकारी समिति के बीच में हुआ था वह 5.6.99 को हुआ था, लेकिन पट्टों पर तारीखें जो सहकारी समिति के द्वारा वितरित किये गए पट्टे हैं उनमें तारीख 15.6.99 लगी हुई है तो मोटे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

तौर पर तो यह दिखता है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि जोन के नीचे के अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया था कि मानचित्र जो सरकारी समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इंटीग्रेटेड प्लान के बीच में कोई भी मिलान नहीं खाता तो मोटे तौर पर उन्होंने इस बात पर एतराज किया था, तो तत्कालीन आयुक्त ने उनको यह लिखकर दे दिया था कि आप इसका दुबारा से सर्वे करें। दुबारा से सर्वे करने के बाद उन्होंने इसको खाली जमीन न बताते हुए यह बताया था कि इसमें निर्माण कार्य हो चुके हैं और इंटीग्रेटेड प्लान जो बना था जिसमें निर्माण, बाउण्ड्रीवाल, हाईटेंशन लाइन्स और रोड की कनेक्टिविटी वगैरह सब शामिल होती हैं, तो कोई जरुरी नहीं है कि सहकारी समिति के मानचित्र से उसका मिलान खाये ही खाये, यह कोई जरुरी नहीं है, इसलिए आयुक्त ने यह दे दिया था। लेकिन आपने जो आरोप लगाया है कि रामचरण बोहरा जो तत्कालीन सांसद थे, उनके पुत्र की वजह से यह बात आई। अगर कोई ऐसे फैक्ट्स आपके पास हो तो आप मुझे वह दे दें, उसके बारे में जानकारी कर ली जाएगी।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, मैं सारी चीज आपको दे दूंगा, आप इसकी उच्च स्तरीय जांच की घोषणा करें, मैं सारे कागज आपको दे रहा हूं, आप जांच की घोषणा करें कि इस मामले की जांच कराएंगे, आप कम से कम यह तो घोषणा करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके जो एतराज हैं और आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं, वह आ जाये तो उनको देखने के उपरांत मैं कुछ बात आपको कह सकता हूं।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): आप जांच करा देंगे क्या, बोलो न।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा... (अनुपस्थित)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): माननीय मंत्री जी, आप तो जांच की घोषणा करें कि इस मामले में आप जांच करा देंगे। मैं आपको कागज दे रहा हूं, आप उनकी जांच करा दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा निवेदन है मुझे जांच से कोई एतराज नहीं है लेकिन तथ्य तो आएं, तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): आप तो अधिकारियों वाला जवाब पढ़ रहे हैं, यह मेरे पास सारे तथ्य हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मुझे तथ्य लिखकर भेज दें।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): आप जांच करा देंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके पास कोई सबूत हो, आपके पास कोई तथ्य हो तो आप लिखकर भेज दें मुझे।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): आप जांच करा दोगे, बताओ।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा... (अनुपस्थित)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-153 दिनांक 29.1.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधान 01 फरवरी, 2019 से प्रभावी किये गये हैं ;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-154 दिनांक 29.1.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किये गये हैं ;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-155 दिनांक 29.1.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-58 दिनांक 30.6.2017 में संशोधन किया गया है ;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-156 दिनांक 29.1.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-46 दिनांक 29.6.2017 में संशोधन किया गया है ;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-157 दिनांक 01.2.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कर/2017-पार्ट-III-135 दिनांक 31.12.2018 का शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-158 दिनांक 01.2.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-137 दिनांक 31.12.2018 का शुद्धि पत्र जारी किया गया है ;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-159 दिनांक 01.2.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का निराकरण), आदेश 2019 जारी किया गया है ; एवं

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-160 दिनांक 04.2.2019 जिसके द्वारा प्रति-मुनाफाखोरी पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति में एक सदस्य की नियुक्ति की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 67वां प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 व 68वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 67वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 एवं 68वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 ;

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

(2) मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, आंकड़ों के बेहतर प्रदर्शन हेतु पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने में देरी के संबंध में विशेष प्रतिवेदन एवं सरकारी कर्मचारियों के

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पेंशन प्रकरणों की स्वीकृति में हो रहे विलम्ब के संबंध में विशेष प्रतिवेदन ;

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का छठा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 ; एवं

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 13वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड़ का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 9वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड़ का 9वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 ;

राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2017-18

(2) राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2017-2018 ; एवं

जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित लेखे वर्ष 2017-18

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2017-2018.

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकीदास कल्ला।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 34वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेमोरेंडम आफ आर्टिकल के नियम 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन

(1) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन; एवं

राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 34वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18.

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 54वां प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1050 की धारा 35(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री लालचन्द कटारिया)

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

(1) महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ;

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

(2) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ;

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

(3) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ;

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

(4) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 ; एवं

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

(5) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19.

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री शांति कुमार धारीवाल।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की आडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-18

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य पाठ्य

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
पुस्तक मण्डल के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन के नियम 46 के अंतर्गत राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की वार्षिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(1) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 ; एवं

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

(2) राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

श्री अध्यक्ष: श्री अंजना उदयलाल।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के आडिटेड अंतिम लेखे एवं आडिट व अनुपालना रिपोर्ट (कंसोलिडेटेड) वर्ष 2017-18

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54(14) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के आडिटेड अंतिम लेखे एवं आडिट व अनुपालना रिपोर्ट (कंसोलिडेटेड) वर्ष 2017-18 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हाउस चलाना है या नहीं चलाना? नहीं चलाना, नहीं चलाना? एक घंटे तक हाउस एडजोर्न किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किसानों की कर्जा माफी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जिस बात को लेकर सदन में गतिरोध हुआ। राजस्थान का किसान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान से वोट की फसल काटने के लिये जो वादा सरकार ने किया, उससे सरकार मुकर रही है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर 59 लाख किसान हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह ठगने का काम तो आपने किया है और आपकी पार्टी ने किया है। पूरे देश के किसानों को ठगने का काम किया है। पूरे देश के किसानों से आप वादा करके गये थे। आप भारत की सत्ता में आये थे। ठगने का काम +++ ने किया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 59 लाख किसानों के आज 99 हजार 695 करोड़ रुपये बाकी हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपके साथ जो ठगी हुई, आप उसकी चिंता करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) इसको सरकार को पूरा करना चाहिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): घड़ियाली आंसू मत बहाओ, आप यहां पर ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): संयम जी, आपको भी ठग लिया इस बहाने में तो।

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): पूरे देश को ठगने का काम तो आपने ही किया है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपने किसानों के साथ धोखा किया है ...(व्यवधान) लूट रहा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरु): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान के किसान को भरोसा दिलाया था ...(व्यवधान) 10 दिन के अंदर किसान का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। यह किसानों के साथ धोखा है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक लाख किसान जेल में गये हैं और जब तक आप अपने वादे के अनुसार कर्जा माफ नहीं कर देंगे, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): किसानों को धोखा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने ...(व्यवधान) और राजस्थान की जनता को आपने लगातार 2003 से लेकर ...(व्यवधान) किसान ने सबसे ज्यादा आत्म हत्या की। आपने वाहवाही लूटी और लूटने के लिये आप वैल में आ जाते हो ...(व्यवधान) सत्र के अंदर बाधा डालते हो। लोग अपनी बात उठाना चाहते हैं। मेरे विधायक अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन अख़बार में छपने के लिये। आप कर्जा माफ कर देते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लोकतंत्र में विरोधी पक्ष को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की ताकत है। सरकार अपने हिसाब से निर्णय लेती है। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपका प्रोटेस्ट रिकार्ड हुआ है। राजस्थान की जनता देख रही है। सदन की कार्यवाही को हम आगे बढ़ाएं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरु): जिस प्रकार की बचकानी बात संसदीय कार्य मंत्री ने की है। राजस्थान के किसान का अपमान करने का काम किया है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): बचकानी बात ये कर रहे हैं। ये कार्यवाही नहीं चलने दे रहे, आदत पड़ गयी। खुद जिम्मेदार हैं सब मामलों के लिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री हनुमान बैनिवाल (खींवसर): लोक सभा के चुनाव में अगर इन हरकतों को लेकर राजस्थान की जनता के सामने जाओगे। जनता आपको देख चुकी है। अभी तो आप 70-72 पर अटके थे, लोक सभा में आप 3 पर ही रह जाओगे। क्योंकि आपके प्रधान मंत्री ने बहुत बड़ा धोखा देश की जनता के साथ किया। सम्पूर्ण कर्ज माफी से लेकर, 15 लाख रुपये किसान के खाते में आ जाएंगे और पता नहीं, क्या-क्या सब्ज बाग दिखाए। धारा 370 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे। पता नहीं कितनी बातें, आपने इस देश के लोगों को कहीं और

(श्री हनुमान बैनिवाल)

5 साल निकल गये। अब वही चेहरा लेकर आप जनता के सामने जाओगे। देश की जनता आपको नकार देगी। दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर आप नहीं बैठोगे। यह तो हमें धन्यवाद दो कि हमने लड़ाई लड़ी और आप 70 पर पहुंच गये, नहीं तो 30 और 35 के बीच रहते ...(व्यवधान) किसानों ने आत्महत्या की। राजस्थान की कानून व्यवस्था अगर छिन्न-भिन्न हुई तो राजस्थान के राज में इस कानून की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हुई। 'एट पीएम, नो सीएम' के नारे लगे। आपके मंत्री अपराधियों के सांठगांठ करते लिप्त करते पाये गये। आपने जेलों से हार्डकोर अपराधियों को छुड़वाया।

श्री अध्यक्ष: सरकारी मुख्य सचेतक।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2019-2020 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2019-2020 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2019-2020 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निवार्चन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री महेश जोशी।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर नारेबाजी)

वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2019-2020, प्राक्कलन समिति "क", 2019-2020, प्राक्कलन समिति "ख", 2019-2020 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

वित्तीय समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री अंजना उदयलाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक, डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय। श्री भंवर सिंह भाटी।

डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. भीमराव अम्बेडकर विधि

(श्री अध्यक्ष)

विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 श्री भंवर सिंह भाटी।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं पुन: आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप जो सदन के विधायक हैं, इम्पोर्टेंट विधायक हैं, चर्चा में भाग लें। मैं आशा करता हूं, आप भाग लेंगे। सदन की कार्यवाही को मैं पौने चार बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.10 बजे 15.45 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(15.45 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किसानों की कर्जा माफी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का गतिरोध सदन में चल रहा है, उसके पीछे कारण एक ही है कि राज्य सरकार आज यह बताने के लिए तैयार नहीं और न ही राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि वह कितने किसानों का ऋण माफ कर रही है, कितनी राशि का ऋण माफ कर रही है। जिस प्रकार का धोखा राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के किसान को दिया है, आज राजस्थान का किसान सड़क पर है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसके पीछे कारण यह है कि पूरे देश के किसानों से आपने वादा किया, उनके कर्जे माफ होंगे। आपकी भारत सरकार ने पांच पैसे के कर्जे माफ किये नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धोखा दिया है तो कांग्रेस के लोग बोलें। आप क्यों बोल रहे हैं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप क्यों बीच में बोल रहे हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप सरकार की पैरवी कर रहे हैं। किसानों के साथ धोखा है और यह धोखा जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप लोगों को कोई अधिकार ही नहीं है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम सं. 3)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(डा. महेश जोशी)

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2019 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई । समिति ने अपने द्‌वितीय प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि सदन में दिनांक 12 फरवरी, 2019 को लिये जाने वाले कार्य के साथ-साथ दिनांक 13 फरवरी, 2019 को अग्रेतर कार्य निम्न प्रकार लिया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 12 फरवरी, 2019	बैठक नहीं होगी ।
बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019	**1.** आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-2020 का उपस्थापन । 2. वर्ष 2019-2020 के लिये लेखानुदान (वोट आन अकाउण्ट) संबंधी विवरण का प्रस्तुतीकरण। 3. लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव का पारण । 4. लेखानुदान संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 5. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-19 (द्‌वितीय संकलन) का उपस्थापन । 6. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-2019 (द्‌वितीय संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 7. वर्ष 2015-2016 तथा 2016-2017 के लिये अतिरेक मांगों पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयकों का पुर:स्थापन, उन पर विचार एवं पारण ।

(डा. महेश जोशी)

	8. राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। 9. डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। 10. हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

विधायी कार्य श्री सचिन पायलट, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे इतिहास में, हमारे पुराण में सब जगह पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है।

जब हमारा मुल्क आजाद हुआ उसके बाद पंडित जवाहर लाल नेहरु ने एक नई सोच के साथ राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की थी। यह सोच थी कि लोग अपने स्थान पर बैठें, अपनी समस्याओं पर बात करें और स्वयं उस पर निर्णय लें। हर दृष्टि से निचले स्तर तक के लोगों को इस बात

(श्री संयम लोढ़ा)

का अधिकार मिले कि वह अपनी समस्याओं का समाधान करें और एक विकेन्द्रीकृत समाज की ओर हम लोग आगे बढ़ें। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरु द्वारा पंचायती राज की स्थापना के बाद से कई दशक तक पंचायती राज के माध्यम से वंचित तबक़े के लोगों को न्याय नहीं मिल सका तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक नई कल्पना की।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): बीजेपी धोखा है। बीजेपी धोखा है ...(व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): +++ ...(व्यवधान) +++ ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वंचित लोगों को मुख्यधारा में नहीं ला सके ...(व्यवधान) उनको मुख्यधारा में लाने का मौका मिले, वह संविधान संशोधन लेकर आए लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से राज्य सभा में वह संविधान संशोधन पारित नहीं हो सका। 1991 में जब प्रधान मंत्री के रुप में नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, उन्होंने वह ...(व्यवधान) संविधान संशोधन लाए और अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की कल्पना की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सरकार लाई है मैं इसका तो समर्थन करता हूं लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि नई व्यवस्था लाने के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है? पिछली बार जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आपने पांच विभाग पंचायती राज को देने का निर्णय किया था, बहुत अच्छा होता आज उन पांच विभागों को भी, आपने जो अधिकार देने की कल्पना की थी, पंचायती राज का सर्वनाश इन्होंने किया है। (व्यवधान) पंचायती राज को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया है। पूरी व्यवस्था को पथ भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए इस बात की महती आवश्यकता है कि ग्राम सभा को मजबूत करें। जो थ्री टायर सिस्टम हम लेकर आए हैं, उस थ्री टायर सिस्टम की क्या कमियां हैं उस पर हम विचार करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करुगा कि जब वह उत्तर दें, आपने सिर्फ शैक्षणिक योग्यता पर निर्णय किया है। मैं

(श्री संयम लोढ़ा)

आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दो बच्चों से ज्यादा बच्चों के मामले में 1995 से लोग चुनाव लड़ने से वंचित हैं। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि परिवार छोटा होना चाहिए, दो बच्चे ही होने चाहिए लेकिन मैं अब आपसे विनती करता हूं कि 1995 से बढ़ाकर ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): पाइंट आफ आर्डर सर, आन ए पाइंट आफ आर्डर सर, ...(व्यवधान) सर मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि जो माननीय सदस्य इस विधान सभा के नहीं है, +++ नारे लगा रहे हैं, वह सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में यह जो बातें कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। हम भी फिर ऐसे ही नारे लगाएंगे कि इनके नेता झूठे हैं, झूठे हैं। (व्यवधान) जो सदस्य इस विधान सभा के नहीं हैं उनके बारे में नारे लगाने की इनको कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई भी नारे लगा रहे हैं वह सदन की कार्यवाही से निकाले जाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) कोई अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करुगा कि जो तारीख दो बच्चों से ज्यादा के मामले में 1995 की रखी हुई आप उसको बढ़ाकर 2018 कर दीजिए, जिससे पिछले 23 साल में जो हज़ारों लोग चुनाव लड़ने से वंचित हुए हैं उनको भी चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके। इसके साथ-साथ फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरी, पंचायती राज को देने का स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने सपना देखा था, आप नये सिरे से उनकी कल्पना को साकार करें। इस बात को सुनिश्चित करें कि पंचायती राज के माध्यम से लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों, लोगों के सपने पूरे हों। आज ग्रामों के अंदर ग्राम पंचायत खुली नहीं मिलती है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालो। आप इनको बाहर निकालो। यह आपके और मेरे बीच में खड़े हैं। यह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नियम विरुद्ध प्रलाप कर रहे हैं। मार्शल को बुलाकर इन सब को बाहर निकालो। (व्यवधान) पहले पूरा देश बर्बाद कर दिया, अब प्रदेश बर्बाद कर दिया, जनता ने इनको ठुकरा दिया लेकिन इनका विधवा रुदन बंद नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि पंचायती राज को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरुप चलाने के लिए आप ग्राम पंचायतों में बायोमैट्रिक दस्तखत सुनिश्चित कीजिए जिससे पता चल सके कि ग्राम सेवक

(श्री संयम लोढ़ा)

वापस जा रहा है, पंचायती राज के कर्मचारी जा रहे हैं। वर्ना आज यह होता है कि लोग पंचायत में जाते हैं लेकिन कर्मचारी नहीं मिलते हैं। मैं इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप आने वाले वक्त में पंचायती राज के माध्यम से लोगों की सेवा हो यह सुनिश्चित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हनुमान बैनीवाल, रामलाल शर्मा, श्रीमती अनिता भदेल, बलजीत यादव। बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज अधिनियम में भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा की जो अनिवार्यता की गई उसके पीछे इनकी मंशा ठीक नहीं थी। मेरा यह मानना है कि अगर इनको यह शिक्षा की अनिवार्यता लानी थी तो कुछ समय दिया जाना चाहिए था कि तीन साल तक का समय है, तीन साल बाद कोई व्यक्ति दसवीं पास नहीं होगा या बारहवीं नहीं होगा तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा ताकि इस बीच वह आदमी शिक्षा ग्रहण करके चुनाव लड़ सकता। भाजपा जो बिल लाई थी, पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा की जो अनिवार्यता की थी, मैं उसका विरोध करता हूं। अभी जो बिल लाया गया जिसमें यह कि शिक्षा की अनिवार्यता को पूरी तरह से खतम कर दिया गया, मैं इससे भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। आपके माध्यम से सरकार के सामने बात रखना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए इतना समय हो गया लेकिन आज तक हम लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए और अभी भी हम पूर्ण रुप से अशिक्षा को बढ़ावा नहीं दे सकते। आपको यह बात रखनी चाहिए थी कि पांच साल का समय दिया जाता है, पांच साल के लिए यह बंधन नहीं होगा लेकिन फिर पांच साल बाद जो शिक्षित होगा वही चुनाव लड़ पाएगा। जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षित करने की दिशा में सरकार को कदम उठाने चाहिए।

(16.00 बजे)

(भा.ज.पा. के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

वर्ना जो व्यक्ति सरपंच बनता है, डेलिगेट बनता है, जिला पार्षद बनता है, चेयरमैन बनता है, और अगर अनपढ़ व्यक्ति बनता है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जो अधिकारी होता है, वह उससे मनमाने तरीके से काम करवाता है। सरपंच कोई होता है, काम कोई करता है। चेयरमैन कोई होता है,

(श्री बलजीत यादव)

उसको चलाता कोई है। इसलिये मैं सरकार के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि इसमें यह बात जरुर होनी चाहिए कि इतने समय बाद शिक्षित व्यक्ति ही लड़ेगा।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि भा.ज.पा. सरकार के लोगों ने जो यह बिल रखा, एम.एल.ए., एम.पी. अनपढ़ व्यक्ति बन सकता है लेकिन सरपंच, डेलिगेट, वह शिक्षित होना चाहिए। यह इनकी मंशा को दर्शाता था। लेकिन अभी यह जो बिल लाया गया, जिसका मैं समर्थन करता हूं कि एक बार जो दुर्भावना से जो इनके द्वारा बिल रखा गया था, उसमें सुधार हुआ, और आशा करता हूं कि आगे जो अनपढ़ लोग हैं, उनको शिक्षित किया जायेगा और फिर से शिक्षित लोग ही पंच, सरपंच, डेलिगेट, चेयरमैन या प्रधान बन सकें, इस दिशा में उचित कदम उठाया जायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग। (बोलने के लिये खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़। (बोलने के लिये खड़े नहीं हुए।)

श्री चन्द्रभान सिंह। (बोलने के लिये खड़े नहीं हुए।)

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। (बोलने के लिये खड़े नहीं हुए।)

प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

(भाजपा के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्षजी, माननीय सदस्यों ने जो अपनी बात रखी, सदन के अन्दर हमारी सरकार ने यह विधेयक जो आज प्रस्तुत किया है, वह मोटे रुप से पिछली सरकार ने बदनीयत से यह शैक्षिक योग्यता लागू की थी, रातों-रात अध्यादेश लाकर बहुत से लोगों को वंचित रखने का काम किया था। मैं समझता हूं कि संविधान की मूल भावना के विपरीत था। आज भी मुझे बड़ी खुशी होती कि हमारे विपक्ष के साथी बजाय नारे लगाने के इस विधेयक पर चर्चा करते, कुछ सुझाव देते। सरकार हमेशा संवाद के लिये तैयार है। अगर कुछ सार्थक सुझाव आते, उसको लागू करने में हमें कोई संकोच नहीं था। लेकिन आज जो सदन में माहौल बना है, एक बहुत अच्छी चर्चा नहीं हो सकी।

फिर भी मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूं कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि समाज में हर व्यक्ति चुनाव लड़ सके। जिस भावना के अनुरुप यह कदम उठाया गया, एक तरफ पूर्ववर्ती

(श्री सचिन पायलट)

सरकार ने 18 हजार स्कूल बंद कर दिये, ऊपर से जो लोग वर्तमान में निर्वाचित थे, अच्छा काम कर रहे थे, अध्यक्षजी, मेरे पास एक सूची है जिन सरपंचों को, पंचायत समिति सदस्यों को राष्ट्रपतिजी, प्रधान मंत्रीजी, प्रदेश की सरकार सम्मानित कर चुके हैं, पुरस्कारित कर चुके हैं उन लोगों को भी रातों-रात अयोग्य घोषित किया गया।

हमारी सरकार और कांग्रेस पार्टी, सभी चाहते हैं कि पढ़े-लिखे लोग राजनीति में आयें। लेकिन शैक्षिक योग्यता की शुरुआत अगर हमको करनी है तो मुझे लगता है कि पहले संसद से होनी चाहिए, इस सदन में होनी चाहिए। उसके पश्चात हमारे पी.आर.आईज., पंचायती राज में आना चाहिए। इस बार सदन में, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू करेक्शन मुझे बताया गया कि पिछले सदन में भा.ज.पा., जो उस टाइम सत्ता में थी 27 ऐसे विधायक थे, जो दसवीं पास नहीं थे और दो ऐसे सांसद थे, जो दसवीं पास नहीं थे। हमें लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, वह समावेशी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, फर्जी सर्टिफिकेट देने पर जो केस हुए हैं, आज भी सात सौ केस लम्बित हैं। तमाम क्षेत्रों में सरकार की यह कोशिश है कि जो लोग वंचित रह गये हैं उन लोगों को मौका मिलना चाहिये। हम लोग दो तरह के नागरिकों की श्रेणी नहीं बना सकते, एक जो शिक्षित नहीं हैं और एक जो शिक्षित हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार सब लोगों को है। माननीय सदस्य, संयम लोढ़ाजी, अब शायद यहां पर नहीं हैं, लेकिन जो सुझाव उन्होंने दिया, सरकार निश्चित रुप से इस पर गम्भीरता से विचार करेगी। क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ दो संतानों की सीमा बांधी गई थी, चुनाव न लड़ने की, उसको एक्सटेंड करने की बात संयम लोढ़ाजी ने की है। इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो आज विधेयक हम लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि हमारे सभी विधायक गण हमारा समर्थन करेंगे।

सुझाव आया है, पंचायतों के अन्दर बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाए। अगर संसाधन अगर होंगे, हम लोग इस पर भी काम करने की मंशा रखते हैं। जो इन्होंने, संयमजी ने कहा, फंड, फंक्शन एण्ड फंक्शनरीज, इन सबका समावेश करके पिछले 20-25 सालों में जो धरातल पर आज जनचेतना बढ़ी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़ी है, उसको बनाये रखने के लिये यह कोर सलेक्शन हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने पिछली सरकार की तरह अध्यादेश जारी नहीं किया।

(श्री सचिन पायलट)

कोर्ट छुट्टी पर जाए उससे एक दिन पहले घोषणा नहीं की। हम लोग बड़े खुले मन से यह चर्चा करने के लिये तैयार थे, इसलिये विधेयक लेकर आये हैं।

मुझे खुशी होती कि आज सम्माननीय विपक्ष के सभी नेतागण और विधायक इस पर चर्चा करते, हमको सुझाव देते। लेकिन मैं आज सदन को आग्रह करुगा कि यह जो बिल हम लेकर आये हैं, इसको पास करने में मदद करें ताकि हर जाति, श्रेणी, वर्ग, समाज के लोग, विशेष रुप से महिलाएं, जो शिक्षा से वंचित रह गईं, वह चुनाव लड़ने में सार्थक बन सकें, वह क्वालीफाई कर सकें। हम कोशिश करेंगे आने वाले पांच साल के कार्यकाल में कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित बनाया जाए। यह बात गलत है कि कोई अशिक्षित है तो नासमझ है। अध्यक्षजी, सरपंचों को काम करने के लिये यह कहा जाता है कि उनको आर्थिक निर्णय लेने पड़ते हैं, चैक साइन करने पड़ते हैं। मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि सरपंचों के साथ ग्राम सेवक हैं, एल.डी.सीज. हैं टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, इस काम को करने में वे लोगों की मदद करते हैं। इसलिये मुझे लगता है कि पिछली सरकार एक गलत सोच के साथ इस कानून को लेकर आई थी। उसको हमने आज बदला है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करुगा कि इस विधेयक को पारित करने में हमारा समर्थन करें।

(भाजपा के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधयेक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री सचिन पायलट, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया।

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा होता कि राजस्थान सरकार जिन मुद्दों को ले करके राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर

(श्री संयम लोढ़ा)

विकास प्राधिकरण के अरबों रुपयों के भ्रष्टाचार को ले करके अपनी बात रखी थी, आप इस सदन में प्राधिकरण के भ्रष्टाचार को उजागर करते और लूट की एक व्यवस्था जो जयपुर विकास प्राधिकरण में बनी हुई है, उससे लोगों को राहत दिलाने के कदम के साथ में आगे आते।

आज जयपुर देश के 35 शहरों के अन्दर भी नहीं है। पिछली सरकार ने राजस्थान के 92 फीसदी हाउस होल्ड को ओ.डी.एफ. डिक्लीयर कर दिया। लेकिन व्यवहार में कहीं भी उस स्वच्छता का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। स्वच्छता के नाम पर इन लोगों ने अरबों रुपयों के घोटाले किये हैं। अपने दलालों को इन्होंने ठेके दिये। शौचालयों का ऐसा निर्माण किया, जिनकी ईंटें बाहर निकलती हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आप राजस्थान के किसी भी शहर में निकल जाओ, जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का सोच था, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्होंने एक कल्पना की थी कि हम लोगों को हक एवं अधिकार देंगे, लोग अपने निर्णय स्वयं कर सकेंगे, सरकार का दखल खतम करेंगे और अच्छी गवर्नेंस की तरफ सरकार बढ़ेगी।

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के या स्थानीय निकायों के संवैधानिक इकाई बनने के बाद चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, आपने किस रुप में इन निकायों को सुदृढ़ किया? न तो आपने फंड ट्रांसफर किये, न आपने फंक्शन ट्रांसफर किये और न आपने फंक्शनरीज ट्रांसफर की।

आज न चिकित्सालय स्थानीय निकायों के हाथ में है, न स्कूल स्थानीय निकायों के हाथ में है, न किसी तरह का कर लगाना इनके हाथ में है। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की मौजूदा सरकार स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के सपनों के अनुरुप कदम उठाएगी और स्थानीय निकाय संस्था को सुदृढ़ करने का काम करेगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करुगा कि मेरी कही हुई सभी बातों को समावेश करते हुए एक नई व्यवस्था के साथ आएं, तब तक के लिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें और जनता के सुझाव प्राप्त करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका अधिनियम में सरकार जो संशोधन का प्रस्ताव लेकर आई है, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं एक बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि नगरपालिका, नगर निगम शहरों की सरकार होती है। भाजपा सरकार ने गलती की कि गलत मंशा के साथ शिक्षा की अनिवार्यता का बिल लेकर आई जिससे बहुत से लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह गये। उन्होंने उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया लेकिन आप उनको फालो नहीं करें जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने मौका नहीं दिया, शिक्षित होने का किसी को समय नहीं दिया।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप इसके अंदर एक बात जरुर रखें, चाहे आप इसको पांच साल बाद रिव्यू करें लेकिन शिक्षा को बढ़ावा दें वर्ना अशिक्षित लोग अगर शहरों की सरकार चलाएंगे तो आप समझ सकते हो कि भ्रष्टाचार को कितना बढ़ावा मिलेगा?

मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की मंशा साफ है और सरकार अपनी मंशा साफ रखते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर दो कदम आगे बढ़ाएगी और जो शिक्षा से वंचित लोग हैं, सरकार उनको शिक्षित करने की दिशा में भी कदम उठाएगी।

बड़ी शर्म की बात लगती है कि देश को आजाद हुए इतना समय होने के बाद भी इस देश में अशिक्षित लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं और जहां आपने देखा, पिछले पंचायत चुनावों में हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग जो पहले चुनाव जीते हुए थे, वह अशिक्षित थे लेकिन अचानक बी.जे.पी. बिल लेकर आई और शिक्षा की अनिवार्यता कर दी गयी, उसके कारण से वह चुनाव नहीं लड़ पाए और कुछ जगह पर गिने-चुने, एकाध प्रत्याशी भी बड़ी मुश्किल से मिले। खास तौर से जहां पर एस.सी., एस.टी. की सीट्स रिजर्व है वहां पर एक-एक कैंडिडेट कई जगह मुश्किल से फार्म भर पाए इसलिए सरकार के ध्यान में मैं यह बात भी लाना चाहता हूं कि किस कदर अशिक्षा अभी तक हमारे देश में व्याप्त है इसलिए आशा रखता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में और लोगों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करते हुए पांच साल बाद इसको रिव्यू करने की सरकार बात रखेगी जिससे जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं, जो गरीब, किसान, मजूदर की बात को उठाना चाहते हैं या

(श्री बलजीत यादव)

उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वह लोग भी शिक्षित होने के लिए प्रयास करेंगे, यही मैं सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री गुलाब चन्द कटारिया। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के पेज नम्बर-23 पर जनता के सामने यह वादा किया था कि शैक्षणिक योग्यता का जो बार है, जो राइडर है, हम उसको हटाएंगे और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी को क्रियान्वित करने के लिए यह बिल लेकर आपके सम्मुख पेश किया है, विधान सभा के सम्मुख मैं उपस्थित हुआ हूं।

रोज हम इस तरीके के केसेज देखते हैं कि चाहे स्कूल बंद हो तो भी झूठा सर्टिफिकेट लेकर लोग किसी तरीके से चुनाव लड़ लेते हैं और फिर वह सज़ा पाते हैं तो इस तरह की वारदातें आए दिन अब बढ़ती जा रही हैं। मोटे तौर पर हमने पूरे वर्ग को दो भागों में बांट दिया है, दो वर्ग कर दिये हैं। एक शिक्षित और एक अशिक्षित। अशिक्षित व्यक्ति अपने आपको हीन महसूस करता है। वह यह समझता है कि मुझे, लेकिन असल में देखा जाए तो कामन सेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है।

इस देश में कामन सेंस से कई प्रशासक ऐसे हुए हैं, कई बड़े-बड़े प्रशासक हुए हैं, आप राजस्थान का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि भैरोंसिंहजी शेखावत हुए, वह मैट्रिक नहीं थे। हरिदेवजी जोशी हुए, वह मैट्रिक नहीं थे। ज्ञानी जेल सिंह, जो राष्ट्रपति थे, वह भी मैट्रिक नहीं थे। तो कई ऐसे हुए हैं, राबड़ी देवी नहीं थीं। आपकी उमा देवी जो आज केन्द्रीय मंत्री बनी हुई हैं और वह मध्यप्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, उमा भारती, वह भी मैट्रिक नहीं है तो ऐसे-ऐसे लोग हुए हैं, तो इसलिए शैक्षणिक योग्यता का कोई महत्व नहीं रह जाता।

मेरा अर्थ यही है, मैं संक्षेप में आपको यह बताना चाहता हूं कि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसलिए वह लोग अपने आपको हीन महसूस करते हैं जो अशिक्षित हैं। अशिक्षित व्यक्ति भी अगर कामन सेंस रखता है तो बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा प्रशासक साबित हो सकता है तो मेरा निवेदन यह है कि इस बिल को जैसा कि संयम लोढ़ा साहब ने बताया कि इसमें कई चीजें शामिल की जानी चाहिए, म्युनिसिपल एक्ट को देखें, म्युनिसिपल एक्ट में कई चीजें शामिल की गई हैं कि किस तरीके से एक नगर की सरकार काम कर सकती है। नगरीय सरकार के क्या-क्या कर्तव्य हैं, क्या-क्या उनके अधिकार हैं, यह सारे समावेश हैं।

इसी तरीके से जैसे बलजीत यादव साहब ने बताया तो मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज की इस स्थिति में यह आवश्यक है कि हम अशिक्षित को कुछ न कुछ देंगे, अशिक्षित को उन बैठकों में बिठाएंगे जहां पर शिक्षित व्यक्ति बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर उसकी ज्ञान की वृद्धि होगी, निश्चित तौर पर उसमें हौसला अफजाही होगी। इस बात को लेकर उनमें शिक्षा के प्रति प्रेम जाग्रत होगा। शिक्षा के प्रति उसका झुकाव जाग्रत होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार

खंड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-2 स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.20 बजे बुधवार, दिनांक 13 फरवरी 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

रायसिंहनगर तहसील के किसानों को खातेदारी अधिकार

48 **श्री बलवीर सिंह लूथरा** (रायसिंहनगर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की रायसिंहनगर तहसील के गांव ठण्डी, ठाकरी व लखाहाकम में डी कमाण्ड बारानी कृषि भूमि आबंटन करने के पश्चात् भी किसान खातेदारी अधिकार से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह आंशिक रुप से सही है, कि राज्य सरकार की अधिसूचना 17.05.1988 के अनुसार राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 (राजस्थान अधिनियम सं. 27 सन् 1954) की धारा 4 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्रीगंगानगर जिले की रायसिंहनगर तहसील के चक लखाटिब्बा (लखाहाकम), ठण्डी बारानी का रकबा तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत कर दिया गया था। (अधिसूचना दिनांक 17.05.1988 की प्रति परिशिष्ट - "क" पर संलग्न है।) जो आज दिनांक तक डीकोलोनाइज एरिया ही चल रहा है। तत्समय उपखण्ड कार्यालय रायसिंहनगर में विचाराधीन आबंटन पत्रावलियों में उक्त डीकोलोनाइज घोषित रकबा में से आंशिक रकबा उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत आबंटन कर दिया गया। आंबटित रकबा डीकोलोनाइज होने के कारण उपनिवेशन नियमों के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकी है। ठाकरी का रकबा उक्त अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है। उक्त डिकोलोनाइज घोषित रकबे को कोलोनाइज घोषित करने हेतु जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक 6332 दिनांक 28.08.2018 से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसके सम्बन्ध में विभागीय पत्र दिनांक 11.10.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 04.02.2019 के द्वारा जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर से मय स्पष्ट अभिशंषा सहित प्रस्ताव चाहे गये हैं। उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाडमेर में पेट्रो केमिकल्स एवं इन्जीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना

49. **श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय बाड़मेर पर इंजीनियरिंग कालेज स्वीकृत है? यदि हां, तो उक्त कालेज कब स्वीकृत हुआ एवं क्या वर्तमान में उक्त कालेज प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त इंजीनियरिंग कालेज वर्तमान में कहां संचालित हो रहा है एवं कितने विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं तथा कितना स्टाफ कार्यरत है एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार व्यापक जनहित एवं बाड़मेर तेल क्षेत्र के मध्य में स्थित होने के कारण से इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर को पेट्रो केमिकल्स एवं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पेट्रो केमिकल्स एवं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोलने से सरकार को ज्यादा वित्तीय भार भी नहीं उठाना पड़ेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय आदेश दिनांक 13 जुलाई, 2017 द्वारा बाड़मेर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमति पश्चात उक्त इंजीनियरिंग कालेज शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018-19 में शुरु किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर वर्तमान में राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर के परिसर में संचालित हो रहा है। इसमें 86 छात्र अध्ययनरत हैं। उक्त कालेज में स्वीकृत 21 शैक्षणिक एवं 35 अशैक्षणिक पद

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

रिक्त हैं। वर्तमान में 9 अतिथि संकाय (Guest Faculty) एवं 9 अशैक्षणिक कार्मिकों से कार्य सम्पादित करवाया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर के भवन निर्माण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) द्वारा प्रावधित 26 करोड़ रुपये में से 13 करोड़ रुपये आंबटित किये गये हैं।

उक्त राशि में से 12 करोड़ रुपये भवन निर्माण करवाये जाने हेतु RSRDC Ltd. को हस्तान्तरित किये गये हैं। RSRDC Ltd. द्वारा शीघ्र भवन निर्माण प्रारम्भ किया जाना है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में इंजीनियरिंग कालेज बाड़मेर को पेट्रो केमिकल्स एवं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तब्दील करने बाबत प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बामनवास में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित चिकित्सा कर्मी

40. **श्रीमती इन्द्रा** (बामनवास): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के चिकित्सा केन्द्रों पर पदस्थापित स्टाफ में से अधिकतर स्टाफ अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी का स्टाफ कब से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्ति पर चल रहे स्टाफ की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पुन: उक्त चिकित्सा केन्द्रों पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि दिनांक 03.02.2019 तक विधान सभा क्षेत्र बामनवास से 4 चिकित्सक एवं 9 नर्सिंग/पैरामेडिकल स्टाफ अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। जिनका पदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक 156 दिनांक 04.02.2019 के द्वारा उक्त प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक में से 3 चिकित्सक एवं 9 नर्सिंग/पैरामेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही के भवनहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र

41. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कुल कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं?

(2) उक्त में से कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन नहीं हैं? सरकार द्वारा उक्त के भवन कब तक बनवा दिये जाएंगे?

(3) उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं?

(श्री संयम लोढ़ा)

(4) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के चिकित्सालयों में कहां-कहां चिकित्सकों के कौन-कौन से पद रिक्त हैं? रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कुल 92 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

(2) उक्त में से 17 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन नहीं हैं।

आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण पर विचार किया जाएगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिरोही के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों का रिक्त अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर शीघ्र भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया से शीघ्र भरने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आमेर का क्रमोन्नयन

42. **श्री सतीश पूनियां** (आमेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार आमेर शहर (वार्ड नं. 91) में स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला या रैफरल अस्पताल का दर्जा देने अथवा क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

100 एवं 100 से अधिक शय्याओंयुक्त चिकित्सालय को ही जिला स्तरीय चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने का प्रावधान है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कस्बा आमेर जिला जयपुर में वर्तमान में 50 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, आमेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला स्तरीय अस्पताल का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

सूरसागर में होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थापना

43. **श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (सूरसागर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वर्तमान में एक भी राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय संचालित नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, सूरसागर (सी.एच.सी.) संचालित है।

सलूम्बर के प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार

44. **श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्राचीन मंदिर चामुंडा माता मंदिर बलुआ, हाडी रानी से संबंधी सोनार माता सलूम्बर टीकम बावजी, मंदिर सुरखण्डखेडा वाराह माता मन्दिर केन्द्र मेडादेव का पुन: निर्माण/जीर्णोद्वार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्राचीन मंदिर चामुण्डा माता मंदिर बलुआ, हाडी रानी से संबंधी सोनार माता सलूम्बर टीकम बावजी, मंदिर सुरखण्डखेडा वाराह माता मंदिर केन्द्र मेडादेव देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिर न होकर अराजकीय मंदिर है, उनके पुनर्निमाण/जीर्णोद्वार कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कोटा संभाग में मंदिरों/मठों की भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन

45. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा संभाग में मंदिरों, प्राचीन मठों के नाम से कितनी भूमि वर्तमान में कहां-कहां पर स्थित है? वर्तमान में उक्त भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को उक्त मंदिरों, मठों के नाम से दर्ज भूमि पर अतिक्रमण अथवा इसके गलत उपयोग करने की कोई शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी?

(3) तहसील इंद्रगढ़ जिला बूंदी के खसरा नंबर-174 से 178 व 517 से 520 पर स्थित भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है तथा उस व्यक्ति के नाम कब व किस आधार पर व किस-किस अधिकारी की भूमिका से दर्ज हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पूर्व में चेतनदास जी की बगीची मठ के नाम से दर्ज थी? यदि हां, तो क्या मंदिर और मठ की जमीन को व्यक्ति विशेष को आंबटित किया जाना, खाते में दर्ज किया जाना नियमानुसार उचित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भूमि को गलत तरीके से किसी व्यक्ति के खाते में दर्ज करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां जैसे दुकानें चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो क्या मंदिर, मठ के नाम से दर्ज भूमि पर बिना अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा सकती हैं? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा संभाग में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों की भूमि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। जिसमें भूमि का स्थान, भूमि का रकबा तथा भूमि के उपयोग का जिलेवार विवरण बिन्दु संख्या 1 से 7 पर दर्ज है। अराजकीय मंदिरों के संबंध में कोटा संभाग के चारों जिलों कलेक्टरों से सूचना संकलित कर प्रेषित कर दी जाएगी।

(देवस्थान मंत्री)

(2) कोटा संभाग में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' के बिन्दु संख्या 8 से 11 पर दर्ज है। अराजकीय मंदिरों के संबंध में कोटा संभाग के चारों जिलों कलेक्टरों से सूचना संकलित कर प्रेषित कर दी जाएगी।

(3) ग्राम इन्द्रगढ़ के खसरा नं. 174 रकबा 0.41 है., 175 रकबा 0.05 है., 176 रकबा 0.02 है. 177 रकबा 0.04 है. 178 रकबा 0.71 है. 517 रकबा 0.18 है. 518 रकबा 0.13 है. 519 रकबा 0.52 है. व खसरा नं. 520 रकबा 0.11 है. कुल किता 9 रकबा 2.17 है. पर श्यामदास पुत्र परमानन्द जाति वैष्णव सा रनोदिया के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबंधन खतौनी इन्द्रगढ़ के संवत 2041-60 के खाता संख्या 82 के अनुसार उक्त भूमि कृष्णदास चेला रामलखन दास साधू राहिन भूमि बंधक बैंक, कोटा के नाम दर्ज है। इसके पश्चात नामान्तरण संख्या 65 दिनांक 12.09.1996 से रजिस्टर्ड गोदनामा से कृष्णदास के स्थान पर रामदास पुत्र मोतीशंकर कौम वैष्णव व श्यामदास पुत्र परमानन्द कौम वैष्णव सा. रनोदिया तहसील पीपल्दा के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात ग्राम इन्द्रगढ़ के नामांतरण संख्या 273 जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र पंजीयन दिनांक 16.02.2015 से होने पर जरिये नामांतरण रामदास पुत्र मोतीशंकर के स्थान पर श्यामदास पुत्र परमानन्द दास के नाम जिला कलेक्टर, बून्दी के आदेश दिनांक 06.06.2017 से नामांतरण स्वीकार हुआ है।

(4) उक्त भूमि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2009-2028 के अनुसार चेतनदास जी की बगीची मठ के नाम से दर्ज नहीं थी। उक्त भूमि चेतनदास गुरु गिरवरदास साधू के नाम से दर्ज थी।

(5) ग्राम इन्द्रगढ के खसरा नं. 174 रकबा 0.41 है., में से 0.11 है. व खसरा नं. 178 कुल रकबा 0.71 में से 0.0443 है., भूमि व्यावसायिक/आवासीय उपयोग में आ रही है शेष भूमि खाली पड़ी हुई। खसरा नं. 174 रकबा व 178 में नगरपालिका इन्द्रगढ़ द्वारा आवासीय/व्यावसायिक हेतु धारा 90 ए की कार्यवाही की गई है जिस पर खातेदार श्यामदास द्वारा जिला कलेक्टर बूंदी के आदेश क्रमांक मि.न./90/अपील/16 आदेश दिनांक 31.01.2017 से नगरपालिका द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.01.2013 को

(देवस्थान मंत्री)

निरस्त किया गया है एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, इन्द्रगढ़ को प्रति प्रेषित कर सभी हितबद्ध पक्षकारान की समुचित सुनवाई की कार्यवाही की जाकर विहित प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से विधि सम्वत आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया गया है।

उक्त भूमि मंदिर मठ के नाम से नहीं होने से कोई धोखाधड़ी का कार्य नहीं किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पुष्कर स्थित ब्रहमा मन्दिर की व्यवस्थाओं का संचालन

46. **श्री सुरेश सिंह रावत** (पुष्कर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में स्थित ब्रहमा मंदिर के महंतश्री के स्वर्गवास के पश्चात् सरकार द्वारा मंदिर व्यवस्थाओं के संचालन हेतु क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंदिर की नई संचालन व्यवस्था के पूर्व दानपात्रों व अन्य स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) महंतश्री की मृत्यु पश्चात् गठित समिति के कार्यकाल वर्ष 2016-17, 2017-18 व अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक कितनी आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री ब्रहमा मंदिर पुष्कर के महंत श्री सोमपुरी की मृत्यु दिनांक 11.01.2017 को होने के पश्चात् राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(4) देव/2017 दिनांक 20.01.2017 अनुसार राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अध्याय 10 के तहत प्रबंधन समिति गठन के प्रावधान के तहत अन्तरिम प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर, अजमेर की अध्यक्षता में अस्थाई प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) ब्रहमा मंदिर की नई संचालन व्यवस्था के पूर्व दानपात्रों व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का वर्षवार निम्नानुसार है:-

(देवस्थान मंत्री)

क्र. सं.	वर्ष	वार्षिक आय
1	2013-14	31,32,102/-
2	2014-15	50,26,557/-
3	2015-16	54,14,635/-

(3) महन्त की मृत्यु पश्चात् गठित समिति के कार्यकाल में हुई आय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	वार्षिक आय
1	2016-17	1,16,72,509/-
2	2017-18	2,52,49,036/-
3	4/18 से 12/18 तक	1,72,05,696/-

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम नांगल (टोडाभीम) में भूमि का किस्म परिवर्तन

47. **श्री रामनारायण मीना** (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में लगातार बढ़ती आबादी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए सरकारी एवं चरागाह भूमि सहित विभिन्न किस्म की भूमि की किस्म को परिवर्तित किए जाने के नियम/परिपत्र जारी किए गए हैं? यदि हां, तो नियमों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम नांगल (पहाड़ी) तहसील टोडाभीम में किसान परिवारों द्वारा आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण से अन्य किस्म की भूमियों पर आवास तथा मवेशियों के लिए बाड़े आदि निर्मित किए हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त आवासों का नियमन किए जाने तथा भूमि की किस्म को परिवर्तित किए जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में

(राजस्व मंत्री)

आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षण/आबंटन के संबंध में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 26.05.2008, 09.04.2015, 26.05.2017, 30.11.2017 एवं 07.09.2017 जारी किया गया है। परिपत्रों की प्रति परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है, सन् 1971 में ग्राम की मुख्य आबादी बाढ़ के कारण डूब में आ जाने पर ग्राम नांगल शेरपुर के किसान परिवार ग्राम नांगल शेरपुर की चरागाह भूमि खसरा न. 2179 रकबा 3.24 हैक्टेयर में तथा सिवायचक भूमि खसरा न. 1568, 1571, 1572, 1531 कुल किता 4 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि पर बस गये।

उक्त भूमि में से सिवायचक भूमि खसरा न. 1568, 1571, 1572, 1531 कुल किता 4 रकबा 0.16 हैक्टेयर को उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम ने उनके आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/1199-1203 दिनांक 19.06.2018 द्वारा आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट किया जा चुका है। तथा चरागाह भूमि खसरा न. 2179 रकबा 3.24 हैक्टेयर को आबादी विस्तार हेतु तहसीलदार टोडाभीम द्वारा नियमानुसार आरक्षित किये जाने के प्रस्ताव भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर संभाग में राजस्व विवादों के समाधान हेतु शिविरों का आयोजन

48. **श्रीमती संतोष** (अनूपगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर संभाग में विगत 2 वर्षों में राजस्व विवादों के समाधान के लिए कितने अभियान चलाए गए एवं उक्त अभियानों में कितने विवादों का समाधान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा राजस्व विवादों के त्वरित समाधान के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बीकानेर संभाग में विगत 02 वर्षों में दो अभियान चलाये गये थे, जिनमें बीकानेर जिले में 101365, चूरु जिले में 114214, श्रीगंगानगर जिले में 118390 एवं हनुमानगढ़ जिले में 168987 कुल 502956 राजस्व विवादों का समाधान किया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(2) राजस्व विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व न्यायालयों एवं कार्यालयों में विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों में प्रावधान उपलब्ध है। समय-समय पर गांवों में विशेष राजस्व अभियान चलाये जाकर भी राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

झालावाड़ जिले में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक

49. **श्री नरेन्द्र नागर** (खानपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या झालावाड़ जिले में 6डी की नियुक्ति के तहत कार्यरत अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सहित प्रतिनियुक्त अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लगाने का अधिकार विभाग स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत? यदि नहीं, तो सरकार उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु झालावाड़ में 6-डी के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों में से निम्नांकित 02 अध्यापकों को कार्य व्यवस्थार्थ/ शिक्षण व्यवस्थार्थ अल्प समय के लिए लगाया गया था:-

1. श्री राजेन्द्र कुमार गौतम
2. श्रीमती ममता यादव

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झालावाड़ के आदेश दिनांक 04.02.2019 द्वारा उक्त दोनों अध्यापकों की कार्य व्यवस्था/शिक्षण व्यवस्था को निरस्त कर, मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु आदेशित किया जा चुका है।

उक्त अध्यापकों के संदर्भ में जारी आदेशों की छाया प्रतियां परिशिष्ट-"क-1" एवं परिशिष्ट-"क-2" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या-01 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

50. **श्री फूल सिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को बैठने की पर्याप्त सुविधा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में राजकीय प्राथमिक विद्यालय 136 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय 52 संचालित है। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में स्वीकृत पद 847, कार्यरत 759 एवं रिक्त पद 88 हैं। विवरण परिशिष्ट-क में सम्मिलित है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2018 में टी.एस.पी. एवं नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के 26000 एवं तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय 28000 इस प्रकार कुल 54000 पदों पर सीधी भर्ती किये जाने की कार्यवाही की गई। उक्त भर्ती अंतर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय के विज्ञापित 28000 पदों के विरुद्ध कुल चयनित 27672 अभ्यर्थियों में से 20560 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है। शेष पदों पर परिणाम रिशफल/प्रतीक्षा सूची जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अध्यापक लेवल प्रथम के विज्ञापित 26000 पदों के विरुद्ध कुल 24685 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इन 24685 अभ्यर्थियों में से पात्र अभ्यर्थियों को विद्यालय आंबटित किये जा चुके हैं। लेवल प्रथम की भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर डी.बी. सिविल याचिका 1322/2018 महेन्द्र कुमार जाटोलिया बनाम राज्य सरकार में पारित अन्तरिम आदेश

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

दिनांक 23.10.2018 से लेवल प्रथम की नियुक्तियों पर आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। आदेश विचाराधीन होने के कारण वर्तमान तक लेवल प्रथम के चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार लेवल प्रथम के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाकर लेवल प्रथम के पद भरे जाएंगे।

(4) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कुल 188 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से केवल 10 राजकीय विद्यालयों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

जी हां। उक्त विद्यालयों में आर.टी.ई. मानदण्डानुसार एवं विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर पर्याप्त कक्षाकक्ष निर्माण कराने का विचार रखती है। उक्त 10 विद्यालयों में आवश्यक 31 कक्षाकक्षों में से 03 विद्यालयों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राप्त द्वारा 16 कक्षाकक्षों का निर्माण किया जा रहा है। 01 विद्यालय में डी.एम.एफ.टी. योजना में 02 कक्षाकक्षों के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। शेष आवश्यक 13 कक्षाकक्षों के निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं यथा समग्र शिक्षा अभियान, डी.एम.एफ.टी. आदि बजट की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मसूदा में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

51. **श्री राकेश पारीक** (मसूदा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र मसूदा में वर्ष 2018 में कितने विद्यालयों को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में व कितनों को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मसूदा में वर्ष 2018 में राजकीय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	राप्रावि से राउप्रावि	राउप्रावि से रामावि	रामावि से राउमावि
1	मसूदा	-	राउप्रावि भरकाला	रामावि, अन्धेरी देवरी, मसूदा
2	मसूदा	-	-	रामावि, रावला काबडीया झाक, मसूदा
3	मसूदा	-	-	रामावि, नयागांव, मसूदा
4	मसूदा	-	-	रामावि, गुडाडीया, मसूदा
5	मसूदा	-	-	रामावि, धातोल, भिनाय
6	मसूदा	-	-	रामावि, लामगरा, भिनाय

सिवाना में समायोजित विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने की योजना

52. **श्री हमीर सिंह भायल** (सिवाना): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा R.T.E. नियमानुसार समायोजित विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो इसके लिये क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रारम्भ किये जाने वाले विद्यालय हेतु अध्यापक (स्टाफ) का प्रबन्धन नई भर्ती से किया जायेगा अथवा कार्यव्यवस्था आदेश किये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ब्लाक सिवाना, समदडी एवं सिणधरी में कौन-कौन से विद्यालय पुन: प्रारम्भ किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पत्रांक पं. 14(4)शिक्षा-1/एकी/2014 पार्ट/2016 दिनांक 22.01.2019 के द्वारा समन्वित किये गये विद्यालयों की पुन: समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समीक्षा उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों में

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

से चरणबद्ध रुप से विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। समीक्षा हेतु दिये गये निर्देशों की छाया प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त में से समीक्षा उपरान्त विद्यालय पुन: शुरु किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो जब तक नई भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया से अध्यापक उपलब्ध नहीं होते हैं, तब तक उपलब्ध अध्यापकों में से ही आवश्यकतानुसार अध्यापक लगाये जा सकेंगे।

(3) बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हाडारानी महाविद्यालय, सलूम्बर में निर्मित छात्रावास की जांच

53. **श्री अमृतलाल मीणा** (सलूम्बर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय हाडारानी P.G. महाविद्यालय सलूम्बर के परिसर में आवासीय जनजाति छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो उक्त का निर्माण गुणवत्तायुक्त हुआ है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जनजाति की बालिकाओं को रहने के लिए अन्य कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय हाडारानी P.G. महाविद्यालय सलूम्बर के परिसर में आवासीय जनजाति छात्राओं के छात्रावास का निर्माण टीएडी विभाग, उदयपुर द्वारा किया जा रहा है तथा इसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है।

(2) कालेज शिक्षा विभाग के पास इस तरह का अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के महाविद्यालयों में आशुलिपि डिप्लोमा कोर्स का संचालन

54. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में पूर्व में अथवा वर्तमान में आशुलिपि/शीघ्रलिपि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स चलाये जा रहे हैं अथवा चलाये जा रहे थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर स्टेनोग्राफर/शीघ्रलिपिक की भर्ती में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य किये हुए हैं जिसके कारण से प्रदेश में उक्त कोर्स संचालित नहीं होने के कारण से प्रदेश के शीघ्रलिपि के अभ्यर्थी पात्रता नहीं रखते हैं और उन्हें उक्त भर्तियों से वंचित होना पड़ता है?

(4) क्या सरकार उक्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के संघटक वाणिज्य महाविद्यालय में आशुलिपि/शीघ्रलिपि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स चलता था। इसके अतिरिक्त महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट इन स्टेनो टाइपिंग संचालित था।

वर्तमान में किसी भी राजकीय महाविद्यालय में में आशुलिपि/शीघ्रलिपि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स नहीं चलाये जा रहे हैं।

(2) जी हां। पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में वर्ष 2007-08 के बाद से उक्त डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स को बन्द कर दिया गया है। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में भी उक्त कोर्स को बन्द कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। राज्य में शीघ्रलिपिक की भर्ती हेतु शीघ्रलिपि में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य नहीं है बल्कि राजकीय विभागों में शीघ्रलिपिक की भर्ती हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय सेवा नियम-

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

1999 लागू है। उक्त नियम के अन्तर्गत स्टेनोग्राफर/शीघ्रलिपिक की भर्ती में शीघ्रलिपिक संबंधी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य नहीं है अपितु नियमों के अनुसार उक्त पद के लिए योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा और कम्प्यूटर कोर्स (अधिसूचना दिनांक 14.03.2016 में अंकितानुसार प्रति संलग्न) होना चाहिए तथा उक्त योग्यताधारी सभी अभ्यर्थी शीघ्रलिपिक की परीक्षा हेतु पात्र होंगे। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आशुलिपि के डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स नहीं होने से किसी भी अभ्यर्थी को शीघ्रलिपिक भर्ती से वंचित नहीं होना पड़ता है।

(4) जी नहीं। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 की अनुसूची-1 के बिन्दु संख्या-14 के अनुसार प्रदेश में स्टेनोग्राफर/शीघ्रलिपिक की भर्ती में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य नहीं है, अत: वर्तमान में विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करने के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

55. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वर्तमान में प्रदेश में कुल 289 उपखण्ड मुख्यालय हैं, इन उपखण्डों में संचालित 252 राजकीय महाविद्यालयों/राजकीय कन्या महाविद्यालयों की जिलेवार व उपखण्डवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलना राज्य सरकार की एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत नवीन राजकीय महाविद्यालय/ राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाते हैं।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के प्रवक्ताओं की पदोन्नति

56. **श्री ओम प्रकाश हुड़ला** (महवा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत अनु. जनजाति के प्रवक्ता/ए.टी.पी.ओ. को छोड़कर 05.03.2010 तक सभी वर्गों की पदोन्नति कर दी गई है? यदि हां, तो पदोन्नति में आरक्षण के उपरान्त भी अनु. जनजाति के प्रवक्ता/ए.टी.पी.ओ. को किन नियमों के तहत पदोन्नति से वंचित रखा गया? नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में प्रवक्ता/ए.टी.पी.ओ. की अन्तर्विभागीय वरिष्ठता सूची नियमानुसार RPSC की चयन की तिथि से जारी की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? नियमों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग में दिनांक 16.01.2019 तक कितने अनु. जनजाति के विभागाध्यक्ष/ADT व प्रधानाचार्य पदोन्नत किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2018 को DBCW NO. 3185/2017 Mahima Nagar & Ors. के केस में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 08.01.2010 तक 1973 के सेवा नियमों के अनुसार सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति की जायेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के प्रवक्ताओं को तत्समय प्रचलित राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 1973 के प्रावधानानुसार प्रवक्ता से वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है। विवरण निम्नानुसार है :-

1. श्रीमती मीरा मीणा, वरिष्ठ प्रवक्ता सिविल 2007-08
2. श्री बी.एस. मीणा, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी 2000-01
3. श्री रामफूल मीणा, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी 2000-01
4. श्री रामसिंह मीणा, वरिष्ठ प्रवक्ता यांत्रिकी 2003-04
5. श्री रत्तीराम मीणा, वरिष्ठ प्रवक्ता इलेट्रोनिक्स 2007-08

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

6. श्री जय राज सिंह मीणा, वरिष्ठ प्रवक्ता कम्प्यूटर 2007-08

उपरोक्त के अतिरिक्त यह स्पष्ट करना उचित होगा कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 से पूर्व प्रचलित राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 1973 में एटीपीओ सहायक निदेशक पद पर पदोन्नति का प्रावधान था। सहायक निदेशक पद पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जनजाति के पदों को भी सम्मिलित किया गया किन्तु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी विचरण सीमा को नियमानुसार बढ़ाये जाने के पश्चात भी उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नत नहीं किये जा सके।

(2) राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 1973 के नियम 28 एवं राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 के नियम 33 में नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण किये जाने का प्रावधान निहित है। उक्तानुसार ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।

यह स्पष्ट करना उचित होगा कि नियमों में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने की तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(3) राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 के पूर्व प्रचलित राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 1973 के प्रावधानानुसार उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जनजाति के पदों को भी सम्मिलित किया गया है। नियमानुसार विचरण सीमा में आने तथा पात्रता पूर्ण करने वाले कार्यरत श्री प्रेमचन्द मीणा को विभागाध्यक्ष विद्युत के पद पर रिक्ति वर्ष 2004-05 के विरुद्ध वरिष्ठ प्रवक्ता से विभागाध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया गया।

उक्त के अतिरिक्त यह स्पष्ट करना उचित होगा कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 में प्रवक्ता पद से उच्च पद यथा वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विभागाध्यक्ष/सहायक निदेशक को 100 प्रतिशत पदोन्नति के स्थान पर 100 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है।

(4) DBCWP No. 3185/2017 श्रीमती महिमा नागर एवं अन्य बनाम राज्य के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2018 अन्य प्रकरण DBCWP No. 3185/2017 श्री

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

राजीव जायसवाल व अन्य बनाम राज्य के सापेक्ष निर्णित की गयी। श्री राजीव जायसवाल व अन्य बनाम राज्य के प्रकरण में खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2018, की पालना के क्रम में राज्य सरकार द्वारा ''नो अपील'' का निर्णय लिया गया। नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

उक्तानुसार नियमों में संशोधन पश्चात दिनांक 08.01.2010 से पूर्व की रिक्तियों पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 1973 के प्रावधानानुसार पदोन्नति की जा सकेगी।

भादरा में संस्कृत विद्यालय का क्रमोन्नयन

57. **श्री बलवान पूनियां** (भादरा): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार भादरा विधान सभा क्षेत्र में 12वीं तक का संस्कृत शिक्षा विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

भादरा विधान क्षेत्र सभा में संचालित एकमात्र राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, गोगामेड़ी (हनुमानगढ़) की कक्षा 10 की वर्तमान में छात्र संख्या निर्धारित मानदण्डों से कम है। राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नति के निर्धारित मानदण्डानुसार वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय में क्रमोन्नत होने वाले विद्यालय की कक्षा 10 में न्यूनतम छात्र संख्या 20 से 25 होना अनिवार्य है। अत: संस्था वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नति के मानदण्डों की पूर्ति नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में उक्त विद्यालय की क्रमोन्नति वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

किशनगढ़ के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

58. **श्री सुरेश टाक** (किशनगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में संस्कृत शिक्षा के कितने उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश टाक)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने-कितने पद श्रेणीवार स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद कौन-कौन से विद्यालयों में रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नवीन संस्कृत विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा के विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वरिष्ठ उपाध्याय स्तर का विद्यालय संचालित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक, प्रवेशिका संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "1" पर निहित है।

(3) जी हां। अध्यापक लेवल । के 1829 पद विज्ञापित किये गये जिसमें से 1676 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। अध्यापक लेवल ।। के 571 पद विज्ञापित किये गये इनमें से 399 पदों पर पदस्थापन आदेश जारी किये जा चुके हैं। इनमें किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अध्यापक लेवल । में 6 पदों पर एवं अध्यापक लेवल ।। में 2 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

अध्यापक लेवल । व अध्यापक लेवल ।। के शेष पदों पर पदस्थापन आदेश जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रधानाध्यापक (प्रवेशिका) के 100 पदों, प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न विषयों के 286 पदों एवं वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 867 पदों, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड ।।। के 60 पद एवं पुस्तकालयाध्यक्ष

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

ग्रेड ।।। के 31 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने एवं पदोन्नति के रिक्त पदों पर पदोन्नति कर भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) नवीन संस्कृत विद्यालय खोलने/क्रमोन्नति की कार्यवाही क्षेत्र की मांग, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व मानदण्डों की पूर्ति होने पर की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)